INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

LATEST EDITION

HANDWRITTEN NOTES

## RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

# RAS

## प्रारंभिक परीक्षा हेतु

भाग-3

## राजस्थान की राजव्यवस्था + अर्थव्यवस्था

# INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

# RAS
## (Rajasthan Administrative Service)

प्रारंभिक परीक्षा हेतु

## RAJASTHAN PUBLIC SERVICE COMMISSION

### भाग – 3

## राजस्थान की राजव्यवस्था + अर्थव्यवस्था

# प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**RAS (Rajasthan Administrative Service) Pre.**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Exams**" भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें /*

***अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती हैं / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/***


**प्रकाशकः**

***INFUSION NOTES***

जयपुर, 302017 (RAJASTHAN)

मो : 01414045784, 8233195718

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com



**Order Link -** https://bit.ly/ras-pre-notes

**WhatsApp Link-** https://wa.link/6r99q8

**Contact Us -** 8233195718, 9694804063,7014366728,8504091672



| मूल्य : ₹ | संस्करण : नवीनतम (2022) |
|---|---|

# राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था


| | |
|---|---|
| 1. राज्य की राजनीतिक व्यवस्था | 1 |
| 2. राज्यपाल | 2 |
| 3. मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् | 12 |
| 4. विधानसभा | 22 |
| 5. उच्च न्यायालय | 33 |
| 6. जिला प्रशासन (प्रशासनिक व्यवस्था) | 42 |
| 7. स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं | 49 |
| 8. राजस्थान लोक सेवा आयोग | 61 |
| 9. राज्य मानवाधिकार आयोग | 64 |
| 10. लोकायुक्त | 68 |
| 11. राज्य निर्वाचन आयोग | 72 |
| 12. राज्य सूचना आयोग | 74 |
| 13. लोक नीति | 80 |
| 14. विधिक अधिकार | 83 |
| 15. नागरिक अधिकार – (नागरिक घोषणापत्र) | 84 |

<u>राजस्थान की अर्थव्यवस्था</u>

1. अर्थव्यवस्था का वृहत् परिदृश्य 88

2. कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे 100

3. संवृद्धि, विकास एवं आयोजना 127

4. आधारभूत संरचना एवं संसाधन 129

5. प्रमुख विकास परियोजनायें 135

- राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ :
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ वर्ग / अल्पसंख्यकों
- निःशक्तजनों, निराश्रितों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, कृषकों एवं श्रमिकों के लिए

# राजस्थान की राजव्यवस्था

## अध्याय – 1

## राज्य की राजनीतिक व्यवस्था (परिचय)

### राज्य की परिभाषा –

**अरस्तु के अनुसार** -"राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है इसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।"

**सिसरो के शब्दों में** - " राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्य को उस समुदाय के लाभों को परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है।"

**वुडरो विल्सन** – "किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहते हैं।"
ब्लंशली – "किसी निश्चित भू प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है।"

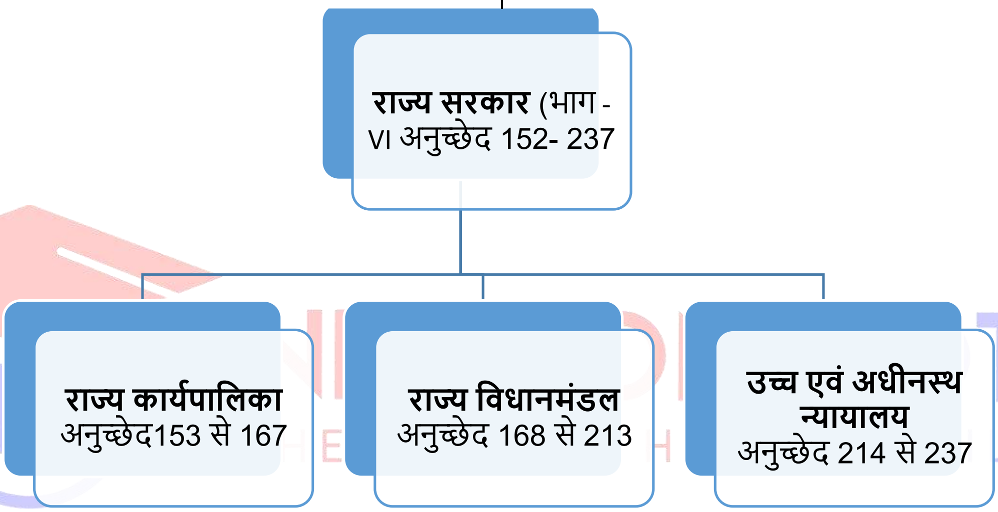


### राज्य के तत्व

**1. जनसंख्या (population)** – राज्य मे जनसंख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे किसी राज्य की कल्पना नही की जा सकती जिसमे कोई व्यक्ति नही रहता हो। इसलिए एक राज्य को राज्य तभी कहा जा सकता है जब उसमे एक निश्चित मात्रा मे जनसंख्या हो।

**2.- निश्चित क्षेत्र या भूभाग (territory)**– राज्य के लिए एक निश्चित भू-भाग होना आवश्यक है। निश्चित भू-भाग राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है, जनसंख्या की तरह ही निश्चित भू-भाग के बिना भी राज्य की कल्पना नही की जा सकती।

**3.- सरकार (government)**– राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व राज्य मे सरकार या शासन का होना है। सरकार को राज्य की आत्मा कहा जाता है। किसी निश्चित भू-भाग पर रहने वाले लोगों को तब तक राज्य नही कहा जा सकता, जब तक वहां कोई शासन न हो। ऐसी संस्था का होना आवश्यक है जिसका आदेश मानना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो।

**4.- संप्रभुता (sovereignity)** – संप्रभुता राज्य होने की पहचान है। किसी समाज मे अन्य तीन तत्वो के होने पर भी जब तक उसमें संप्रभुता न हो वह राज्य नही बन सकता राज्य मे। नियमों को लागू करने वाली एजेन्सी हो सकती है परन्तु संप्रभुता नही हो सकती। संप्रभुता केवल राज्य की ही विशिष्टता है और यह राज्य का आवश्यक अंग भी है।

# अध्याय – 2

## राज्यपाल

- भारतीय संविधान के भाग-VI में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है । यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- **अनुच्छेद 153** के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। **लेकिन 7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।**

- **अनुच्छेद 154** के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है लेकिन **अनुच्छेद 163** के तहत राज्यपाल अपनी स्व-विवेक शक्तियों के अलावा सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है।
- **अनुच्छेद 155** के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) जारी करते है जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।

- **राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान ' कनाडा ' से लिया गया है।**

**संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गई जो निम्न है –**

(i) संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।

(ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि समय दानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो

### राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिश

**सरकारिया आयोग**

गठन-1983 रिपोर्ट- 1987 अध्यक्ष- रणजीत सिंह सरकारिया

**सिफारिश –**

- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।
- राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
- सक्रिय राजनीती में भागीदारी नहीं ले रहा हो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए।
- 5 वर्ष की निश्चित पदावली हो।
- राज्यपाल को हटाए जाने से पूर्व एक बार चेतावनी देनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ।

**द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग**

वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में गठित। वर्ष 2010 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया।

**सिफारिश –**

- इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में **कॉलेजियम व्यवस्था** होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे लेकिन सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था।

**पूंछी आयोग**

गठन-2007 रिपोर्ट- 2010 अध्यक्ष- मदनमोहन पूंछी

**सिफारिश –**

- केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु गठित पूंछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया।

- राज्यपाल को किसी भी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए।
- राज्य की विधानसभा में पारीत विधेयक पर राज्यपाल को 6 माह में निर्णय लेना चाहिए ।

**राजमन्नार आयोग**

गठन-1969 रिपोर्ट- 1971 अध्यक्ष- डॉ. वी.पी. राजमन्नार

**NOTE- सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग व पूंछी आयोग का सम्बन्ध राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र-राज्य संबंधो से है ।**

**अनुच्छेद 156** इस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि/ कार्यकाल का उल्लेख लिया गया है। अर्थात राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा।

- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता हैं तथा राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है।
- राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।
- राज्यपाल को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।
- राज्यपाल अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर ले।

- **राज्यपाल को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है ।**

**अनुच्छेद 157** राज्यपाल पद योग्यताएँ/ अर्हताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।(जन्म से आवश्यक नहीं)
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. और वह राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य हो।

**अनुच्छेद 158** राज्यपाल पद की सेवा शर्तें व वेतन भत्ते

1. किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो।
2. यदि संसद या विधानामंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल का पद धारण करने की तिथि से वह पद रिक्त मान लिया जाएगा।

- राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद (संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित) करती है।
- राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से जबकि पेंशन भारत की संचित निधि में से दी जाती है।
- राज्यपाल का वेतन ₹350000 है जो कर मुक्त होता है।
- पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है।
- यदि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है (**7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा** ) तो भी उसे वेतन । पद का होगा परंतु इसका वहन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा।

**अनुच्छेद 159** राज्यपाल पद की शपथ

- राज्यपाल या राज्यपाल पद के कार्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को राज्यपाल पद की या राज्यपाल पद के कार्य निर्वहन की शपथ **संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा** दिलाई जाती है **राज्यपाल संविधान के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता के कल्याण के शपथ लेता है।**

**NOTE- राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची- 3 में नहीं मिलता है।**

**अनुच्छेद 160** कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन

राज्यपाल पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य लरने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाएगी जैसे- राज्यपाल पद के खाली होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल पद का कार्यों का निर्वहन करना।

**<u>राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां</u> -**

1. **कार्यपालिका संबंधी कार्य -**

- **अनुच्छेद 166** के तहत राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं अर्थात

राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है।

- **अनुच्छेद 164** के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा उसकी सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें **पद एवं गोपनीयता** की शपथ दिलाता है।
- **राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे-** अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता, अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। (महत्वपूर्ण यह कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त जरूर करता है लेकिन उनको उनके पद से हटा नहीं सकता। लोकसेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निरर्हता ओंके होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। (अनुच्छेद 317)
- अनुच्छेद 217 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
- अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात करता है
- अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य की विधायी व प्रशासनिक सूचना मुख्यमंत्री से प्राप्त करें।
- अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।
- अनुच्छेद 243 K-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 ZA- नगर निकायों के लिए राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- अनुच्छेद 243 I-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 Y- नगर निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- राज्यपाल सभी राज्य पोषित सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों की नियुक्त करता है।
- राज्य सुचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सुचना आयोग व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल **'राजस्थान रेडक्रास सोसायटी' व 'पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र- उदयपुर'** का अध्यक्ष होता है
- लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

## 2. विधायी शक्तियां –

- अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधानपरिषद् तीनों शामिल होते है अतः राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग होता हैं।
- **अनुच्छेद 171** के तहत जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहाँ पर उच्च सदन (विधानपरिषद्) में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और समाजसेवा क्षेत्र के सामान्य जानकार या विशेषज्ञ हो।
- **अनुच्छेद 174** के तहत राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान या विघटित कर सकता है।
- **अनुच्छेद 176** के तहत राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित/अभिभाषण कर सकता है। (विधानसभा के चुनाव पश्चात पहली बैठक तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को) राज्यपाल का यह अभिभाषण मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है।
- **अनुच्छेद 180** के तहत राज्यपाल द्वारा जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है।
- **अनुच्छेद 192** के तहत राज्यपाल विधानमंडल के किसी सदस्य को चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर अयोग्य घोषित कर सकता है लेकिन इस संदर्भ में राज्यपाल भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करेंगे।
- **अनुच्छेद 200** के तहत राज्यपाल राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति देने, एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है (धन विधेयक के अलावा) या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है।

- ***NOTE-राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उसपर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है।***

- *किसी भी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किन्तु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुन; स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया हो, तब यदि राज्यपाल अनुमति देता है, तो वह अधिनियम अधिमान्य नही होगा |*

***Q. किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबन्ध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किन्तु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुरःस्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया: अब (RAS. PRE. 2018)***

***(1) जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा।***
***(2) राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इंकार कर सकता है।***
***(3) राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति कीअनुमति के लिये भेज देगा।***
***(4) यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबन्धों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा।***

***उत्तर - (1)***

- *राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर पुनर्विचार के लिए विधान मंडल को लौटा दे तो ऐसे लौटाए जाने पर विधानमंडल 6 माह के भीतर उस पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।किंतु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है।* ***(अनुच्छेद 201)***
- *राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है । यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान करदें। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है जिससे यदि विधेयक विधि बन जाएगा तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा होग*

- ***अनुच्छेद 213*** *जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश विधानमंडल के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक जारी रहता है। अध्यादेश उसी विषय पर जारी किया जा सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होता है। अध्यादेश का वही महत्व है जो राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून का होता है। अध्यादेश राज्यपाल का स्व- विवेक नहीं है तथा अध्यादेश भी विधि होने के कारण न्यायपालिका में चुनौती देने योग्य है। अध्यादेश दो तरीकों से समाप्त किया जा सकता है- (i) निर्धारित अवधि में विधान मंडल द्वारा स्वीकृत नहीं किए जाने पर (ii) राज्यपाल से कभी भी वापस ले सकते हैं।*
- ***अनुच्छेद 333*** *के तहत राज्यपाल उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है।* ***(NOTE- 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत इस प्रावधान को निरसित के दिया गया है ।)***

***3. <u>वित्तीय अधिकार</u> –***

- ***अनुच्छेद 202*** *के तहत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट) प्रस्तुत करने के लिए कहता है।*
- ***अनुच्छेद 198*** *के तहत विधान सभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही पेश किया जा सकता है।*
- *राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता।*
- *राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन तथा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है (अनुच्छेद*



INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

**Q. राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागु किया गया है ? (RAS. Pre. 2015, 2016)**
**(a) 5 बार**
**(b) 3 बार**
**(c) 6 बार**
**(d) 4 बार**
**उत्तर – d**

- अब तक चार राज्यपाल की अपने पद पर रहकर मृत्यु हुई है -

1. दरबारसिंह (वर्ष 1998)
2. निर्मलचंद्र जैन (वर्ष 2003)
3. शैलेंद्रकुमार (वर्ष 2009)
4. प्रभाराव (वर्ष 2010)

NOTE – श्रीमती प्रभाराव राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई ।

- राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया- **मदन लाल खुराना**
- दूसरे राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया- **प्रतिभा पाटिल**
- राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं- **बलिराम भगत**
- राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया- **रघुकुल तिलक**
- राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल- **गुरुमुख निहाल सिंह**
- राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल- **टी.वी. राजेश्वर**
- राजस्थान में अब तक 17 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने जा चुके हैं ।
- वर्तमान में कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है ।
- राजस्थान के राज्यपाल का ग्रीष्मकालीन प्रवास माउंट आबू राजस्थान में स्थित राजभवन में होता है यह भवन 1868 में भारत के गवर्नर जनरल के ए. जी. जी. के रेजिडेंस के तौर पर बनाया गया था ।

## राजस्थान के राज्यपालों की सूची –

| क्र. | राज्यपाल | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1. | सवाई मानसिंह-II (प्रथम राजप्रमुख) | 30 मार्च,1949 - 31 अक्टूबर,1956 |
| 2. | सरदार गुरुमुख निहाल सिंह (प्रथम राज्यपाल) | 1नवम्बर, 1956 – 15 अप्रैल, 1962 |
| 3. | डॉ.सम्पूर्णानंद | 16 ,अप्रैल 1962 – 15 अप्रैल, 1967 |
| 4. | सरदार हुकुमसिंह | 16 अप्रैल, 1967 – 19 नवम्बर, 1970 |
| 5. | जस्टिस जगतनारायण (कार्यवाहक) | 20 नवम्बर, 1970 – 23 दिसम्बर, 1970 |
| 6. | सरदार हुकुमसिंह | 24 दिसम्बर, 1970 – 30 जून, 1972 |
| 7. | सरदार जोगिन्दर सिंह | 1 जुलाई, 1972 – 14 फरवरी, 1977 |
| 8. | जस्टिस वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक) | 15 फरवरी, 1977 – 11 मई, 1977 |
| 9. | श्री रघुकुल तिलक | 12 मई, 1977 - 8 अगस्त, 1981 |
| 10. | जस्टिस के.डी. शर्मा (कार्यवाहक) | 8 अगस्त, 1981 – 5 मार्च, 1982 |
| 11. | एअरचीफमार्शल ओ.पी. मेहरा | 6 मार्च, 1982 - 4 जनवरी, 1985 |
| 12. | जस्टिसपी.के. बनर्जी (कार्यवाहक) | 5 जनवरी, 1985 – 31 जनवरी, 1985 |

| | | |
|---|---|---|
| 35. | श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह | 6 सितम्बर, 2007 – 9 जुलाई, 2009 |
| 36. | श्री रामेश्वर ठाकुर (कार्यवाहक) | 10 जुलाई, 2009 – 22 जुलाई, 2009 |
| 37. | श्री शिलेन्द्र कुमार सिंह | 23 जुलाई, 2009 – 24 जनवरी, 2010 |
| 38. | श्री मती प्रभाराव (कार्यवाहक) | 03 दिसम्बर, 2009 – 24 जनवरी, 2010 |
| 39. | श्रीमती प्रभाराव | 25 जनवरी, 2010 – 26 अप्रैल, 2010 |
| 40. | श्री शिवराज पाटिल (कार्यवाहक) | 28 अप्रैल, 2010 – 11 मई, 2012 |
| 41. | श्रीमती मार्पोट आलवा | 12 मई, 2012 – 7 अगस्त, 2014 |
| 42. | श्री रामनाईक (कार्यवाहक) | 8 अगस्त, 2014 – 3 सितम्बर, 2014 |
| 43. | श्री कल्याणसिंह | 8 सितम्बर, 2014- 8 सितम्बर, 2019 |
| 44. | श्री कलराज मिश्र | 9 सितम्बर, 2019 से लगातार ....... |

**प्रश्नः- राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है ?( RAS. Pre. 2016)**
**(A) ओ. पी. कोहली**
**(B) रामनरेश यादव**
**(C) राम नायक**
**(D) मार्गनेट अल्वा**
**उत्तर –(C)**

**प्रश्नः- गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल 'नियुक्त किया गया था | (RAS. PRE- 2021)**
**(1) 25 अक्टूबर, 1956 को**
**(2) 26 अक्टूबर, 1956 को**
**(3) 2 नवम्बर, 1956 को**
**(4) 1 नवम्बर, 1956 को**
**उत्तर – (4)**

## <u>अभ्यास प्रश्न</u>

**1. राज्य के राज्यपाल को**
i. राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी, विधायी और न्यायिकशक्तियाँप्राप्तहोतीहैं।
ii. उसे सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करना होता है ।
iii.उसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त और पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त होती है ।
iv. विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य के बँटवारें का अधिकार प्राप्त होता है ।
उपर्युक्त में से सही कथन हैं-
A. i और ii
B. ii, iii और iv
C. i और iv
D. i, iii और iv
**उत्तर (C)**

**2. कथन (A) राज्यों में मंत्रिमण्डल के उत्तरदायित्व का सिद्धांत संघ के मंत्रिमण्डल के उत्तरदायित्व के सिद्धांत से भिन्न होता है ।**
**कारण ( R ) - भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को कोई कार्य ' अपने विवेक में ' करने की शक्ति नहीं देता ; यह राज्यपाल को कुछ कार्य ' अपने विवेक में ' करने के लिए प्राधिकृत करता है ।**
कूट-
**A. A** और **R** दोनों सही हैं और **R** , **A** का सही स्पष्टीकरण है

B. A और R दोनों सही हैं , परन्तु R. A का सही स्पष्टीकरण नहीं है
C. A गलत है , परन्तु R सही है
D. A सही है , परन्तु R गलत है
**उत्तर (C)**

**3. निम्नांकित में कौनसा अधिकार राज्यपाल को है**
A. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
B. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
C. राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति
D. उपर्युक्त सभी
**उत्तर (A)**

**4. निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है**
A. राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 153
B. राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155
C. राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156
D. राज्यपाल पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 159
**उत्तर (D)**

**5.राजस्थान में डी- ज्यूरी हेड होता है**
A. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
B. मुख्यमंत्री
C. मुख्य सचिव
D. राज्यपाल
**उत्तर (D)**

**6. निम्नलिखित में से कौनसी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है ?**
A. स्वविवेकीय
B. वीटो पॉवर
C. अध्यादेश जारी करना
D. परामर्शकारी शक्ति
**उत्तर (D)**

**7. निम्नलिखित में से राज्यपाल के संबंध में कौनसा कथन सही है ?**
A. राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी / संवैधानिक प्रमुख होता है ।
B. उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए ।
C. उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए ।
D. उसकी आयु अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए
**उत्तर (A)**

**8.राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के समय लगाया गया था ?**
A. जोगिंदरसिंह
B. रघुकुल तिलक
C. एम चेना रेड्डी
D. हुकुमसिंह
**उत्तर (C)**

**9.राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कौन सा कथन असत्य है ?**
A. वह राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं ।
B. वह 'राजस्थान रेडक्रास सोसायटी' के अध्यक्ष होते हैं ।
C. वह राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं ।
D. उपर्युक्त सभी
**उत्तर (A)**

**10. राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौनसे लोकसभा अध्यक्ष भी रहे ?**
A. बलिराम भगत
B. प्रतिभा पाटिल
C. रघुकुल तिलक
D. मदनलाल खुराना
**उत्तर (A)**

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

- राजस्थान की पहली महिला मंत्री ' कमला बेनीवाल ' को सुखाड़िया मंत्रिमण्डल में उपमंत्री बनाया गया था ।
- मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक , आन्ध्रप्रदेश , तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे ।

**बरकतुल्लाखां**

- बरकतुल्लाखां ने 9 जुलाई, 1971 को सुखाड़िया के बाद प्रदेश की कमान संभाली तथा 11 अक्टूबर, 1973 को हृदयाघात से उनका निधन हो गया ।
- राजस्थान प्रथम मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई ।
- राजस्थान के प्रथम मुस्लिम ( अल्पसंख्यक ) मुख्यमंत्री ।

**हरिदेव जोशी**

- बरकतुल्लाखां के निधन के बाद प्रदेश की बागडोर हरिदेव जोशी को सौंपी गई ।
- 11 अक्टूबर, 1973 को उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली ।
- 10 मार्च, 1985 को वे दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तथा 4 दिसम्बर, 1989 को वे तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने ।
- यह तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके ।
- वर्ष 1952 से मृत्युपर्यंत लगातार 10 बार विधायक बने , लेकिन कभी सांसद नहीं रहे ।
- राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन ( वर्ष 1977 में ) इन्हीं के समय लगा क्योंकि यह बहुमत साबित नहीं कर पाये ।
- इन्हीं के समय वर्ष 1987 में संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत हुई ।
- हरिदेव जोशी 1990-92 तक राजस्थान में विपक्ष / प्रतिपक्ष के नेता रहे । यह तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री व असम , मेघालय , पं . बंगाल के राज्यपाल भी रहे ।

**जगन्नाथ पहाड़िया**

- जून, 1980 में हुए सातवीं विधानसभा (राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव ) के चुनाव में जगन्नाथ पहाड़िया को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला ।
- उन्होंने 6 जून, 1980 को शपथ ली और 13 जुलाई, 1981 तक पद पर बने रहे ।
- राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया तब यह राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे ।
- राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री ( अनुसूचित जाति के ) बने ।
- ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की ।
- लोकसभा व राज्यसभा सांसद भी रहे ।
- यह बिहार तथा हरियाणा के राज्यपाल बने ।

**शिवचरण माथुर**

- जगन्नाथ पहाड़िया के बाद 14 जुलाई, 1981 को शिवचरण माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 23 फरवरी, 1985 तक पद पर बने रहे ।
- 20 जनवरी, 1988 को मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने दूसरी बार शपथ ली और दिसम्बर, 1989 तक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की सेवा की ।
- यह दो बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तथा असम के राज्यपाल रहे ।
- वर्ष 1989 में डीग गोलीकाण्ड ( भरतपुर के महाराजा मानसिंह की मृत्यु ) के कारण इस्तीफा देना पड़ा ।

**हीरालाल देवपुरा**

- हीरालाल देवपुरा 23 फरवरी, 1985 से 10 मार्च, 1985 तक सिर्फ 16 दिनों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री बने । हीरालाल न्यूनतम कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री बने । राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे।
- राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग (दूसरा) के अध्यक्ष भी बने ।

**भैरोसिंह शेखावत**

- बाबोसा के नाम से लोकप्रिय भैंरोसिंह शेखावत जून, 1977 में राजस्थान के प्रथम गैर - कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनें । इस समय यह राजस्थान की विधानसभा के सदस्य ना होकर , राज्यसभा सांसद थे , बाद में कोटा की छबड़ा सीट से उपचुनाव जीतकर विधायक बने ।
- 4 मार्च 1990 को उन्हें दूसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला । 15 दिसम्बर,



INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

1992 को अयोध्या प्रकरण के कारण उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया ।

- वर्ष 1993 में एक बार फिर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और । दिसम्बर, 1998 तक इस पद पर अपनी सेवाएं दीं।
- भैरोसिंह शेखावत तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे ।
- मुख्यमंत्री बनने से पूर्व राज्यसभा सांसद व विधायक भी रहे ।
- राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने ।
- राजस्थान में तीसरा ( वर्ष 1980 ) व चौथा ( वर्ष 1992 ) राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा ।
- यह मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी मंत्रिपरिषद् में मंत्री नहीं रहे ।
- यह तीन बार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे ।

**अशोक गहलोत**

- 1 दिसम्बर, 1998 को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली ।
- 13 दिसम्बर, 2008 को उन्हें दूसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला ।
- वर्तमान (वर्ष 2018 से) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पद के अनुसार 22वें तथा व्यक्ति के अनुसार 11वें निर्वाचित मुख्यमंत्री है । यदि मनोनीत को भी शामिल करे तो पद के अनुसार 25वें तथा व्यक्ति के अनुसार 13वें मुख्यमंत्री है ।
- यह वर्तमान में जोधपुर की सरदारपुरा सीट से निर्वाचित हुए हैं ।
- अशोक गहलोत ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनके कार्यकाल में दो उप-मुख्यमंत्री रहे ( 1 ) बनवारी लाल बैरवा ( 2 ) कमला बेनीवाल

**उपमुख्यमंत्री**

यह एक गैर - संवैधानिक पद है । यह एक परम्परा के तौर पर किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सृजित किया जाता है ।

| उपमुख्यमंत्री | मुख्यमंत्री | वर्ष |
|---|---|---|
| टीकाराम पालीवाल | जयनारायण व्यास | 1952-1954 |
| हरिशंकर भाभड़ा | भैरोसिंह शेखावत | 1994-1998 |
| बनवारी लाल बैरवा | अशोक गहलोत | 2003 |
| कमला बेनीवाल | अशोक गहलोत | 2003 |
| सचिन पायलट | अशोक गहलोत | 2018 |

**वसुन्धरा राजे**

- वसुन्धरा राजे 8 दिसम्बर, 2003 को राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी ।
- इसके बाद 13 दिसम्बर, 2013 को उन्हें दूसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला ।
- यह दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही यह पांच बार विधायक व 5 बार लोकसभा सांसद बनी।
- श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला है ।
- वसुंधरा राजे राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही हैं।

**NOTE- राजस्थान के तीन ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष / प्रतिपक्ष के नेता भी रहे :- ( 1 ) भैरोसिंह शेखावत ( तीन बार ) ( 2 ) हरिदेव जोशी ( एक बार) (3 ) वसुंधरा राजे (एक बार )**

**Q. निम्नांकित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं । (RAS. PRE. 2018)**
**(A) हरिदेव जोशी**
**(B) शिवचरण माथुर**
**(C) अशोक गेहलोत**
**(D) वसुंधरा राजे**
**सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से, कीजिए:**
**कूट:**
**(1) (A), (B) और (C)**
**(2) (B) और (C)**
**(3) (C) और (D)**
**(4) (A) और (D)**
**उत्तर – (2)**

## राजस्थान के मुख्यमंत्री

| क्र. | मुख्यमंत्री | कार्यकाल |
|---|---|---|
| 1. | श्री हीरालाल शास्त्री | 07.04.1949 - 05.01.1951 |
| 2. | श्री सी.एस. वेंकटाचार्य | 06.01.1951 - 25.04.1951 |
| 3. | श्री जयनारायण व्यास | 26.04.1951 - 03.03.1952 |
| 4. | श्री टीकाराम पालीवाल | 03.03.1952 - 31.10.1952 |
| 5. | श्री जयनारायणव्यास | 01.11.1952 - 12.11.1954 |
| 6. | श्री मोहनलाल सुखाड़िया | 13.11.1954 - 11.04.1957 |
| 7. | श्री मोहनलाल सुखाड़िया | 11.04.1957 - 11.03.1962 |
| 8. | श्री मोहनलाल सुखाड़िया | 12.03.1962 - 13.03.1967 |
| 9. | राष्ट्रपति शासन | 13.03.1967- 26.04.1967 |
| 10. | श्री मोहनलाल सुखाड़िया | 26.04.1967- 09.07.1971 |
| 11. | श्री बरकतुल्लाखां | 09.07.1971- 11.10.1973 |
| 12. | श्री हरि देव जोशी | 11.10.1973 - 29.04.1977 |
| 13. | राष्ट्रपति शासन | 30.04.1977- 21.06.1977 |
| 14. | श्री भैरोंसिंह शेखावत | 22.06.1977 - 16.02.1980 |
| 15. | राष्ट्रपति शासन | 17.02.1980 - 05.06.1980 |
| 16. | श्री जगन्नाथ पहाडिया | 06.06.1980- 13.07.1981 |
| 17. | श्री शिवचरण माथुर | 14.07.1981- 23.02.1985 |
| 18. | श्री हीरालाल देवपुरा | 23.02.1985 - 10.03.1985 |
| 19. | श्री हरि देव जोशी | 10.03.1985 - 20.01.1988 |
| 20. | श्री शिव चरण माथुर | 20.01.1988- 04.12.1989 |
| 21. | श्री हरि देव जोशी | 04.12.1989- 04.03.1990 |
| 22. | श्री भैरों सिंह शेखावत | 04.03.1990 - 15.12.1992 |
| 23. | राष्ट्रपति शासन | 15.12.1992 - 03.12.1993 |
| 24. | श्री भैरोंसिंह शेखावत | 04.12.1993 - 01.12.1998 |
| 25. | श्री अशोक गहलोत | 01.12.1998 - 08.12.2003 |
| 26. | श्रीमती वसुन्धरा राजे | 08.12.2003- 13.12.2008 |
| 27. | श्री अशोक गहलोत | 13.12.2008 - 13.12.2013 |
| 28. | श्रीमती वसुन्धरा राजे | 13.12.2013 - 17.12.2018 |
| 29. | श्री अशोक गहलोत | 17.12.2018 से लगातार... |

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

C. मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है यदि नहीं भी है तो 6 माह के अन्दर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है ।
D. संसदीय सचिव की नियुक्ति राज्यपाल करता है जबकि शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है ।
**उत्तर (D)**

**3. राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है ?**
A. अनुच्छेद 149
B. अनुच्छेद 166
C. अनुच्छेद 167
D. अनुच्छेद 162
**उत्तर (B)**

**4. निम्नांकित में से कौनसा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है ?**
A. हरिदेव जोशी - भैंरोसिंह शेखावत- जगन्नाथ पहाड़िया - शिवचरण माथुर
B. शिवचरण माथुर - जगन्नाथ पहाड़िया - भैंरोसिंह शेखावत - हरिदेव जोशी
C. जगन्नाथ पहाड़िया- भैंरोसिंह शेखावत- शिवचरण माथुर - हरिदेव जोशी
D. शिवचरण माथुर - हरिदेव जोशी- जगन्नाथ पहाड़िया- भैंरोसिंह शेखावत
**उत्तर (A)**

**5. निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के पद रहे है ?**
A. हरिदेव जोशी
B. भैंरोसिंह शेखावत
C. मोहनलाल सुखाड़िया
D. टीकाराम पालीवाल
**उत्तर (D)**

**6. मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम ( सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम ) में व्यवस्थित कीजिए**
( i ) मोहनलाल सुखाड़िया ( ii ) हरिदेव जोशी
( iii ) भैंरोंसिंह शेखावत ( iv ) अशोक गहलोत
A. i , ii , iii और iv
B. i , iv , iii और ii
C. i , iii , iv और ii
D. i , ii , iv और iii
**उत्तर (B)**

**7. राज्य सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है ?**
A. राज्यपाल
B. भैंरोसिंह शेखावत
C. राष्ट्रपति
D. मुख्यमंत्री
**उत्तर (D)**

**8. निम्नलिखित में से कौनसा कथन असत्य है ?**
A. राजस्थान के अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खाँ थे ।
B. हरिदेव जोशी , चार बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके
C. राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे ।
D. राजस्थान के अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया थे ।
**उत्तर (B)**

**7. 9. संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होते है-**
A. चयनित
B. मनोनीत
C. नियुक्त
D. निर्वाचित
**उत्तर (C)**

**10. राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री व उप- मुख्यमंत्री क्रमशः है -**
A. वसुंधरा राजे, कमला बेनीवाल
B. वसुंधरा राजे, तारा भंडारी
C. वसुंधरा राजे, कांता भटनागर
D. वसुंधरा राजे, कुशाल सिंह
**उत्तर (A)**

# अध्याय – 4

## राज्य विधान मण्डल व विधानसभा

- संविधान के **छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक** राज्य विधानमंडल की संरचना , गठन , कार्यकाल , प्रक्रियाओं , विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि का प्रावधान है ।
- अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल और एक या दो सदनों से मिलकर बनेगा ।
- जहाँ विधानमण्डल के दो सदन है वहाँ एक का नाम विधान परिषद् ( उच्च सदन / द्वितीय सदन / वरिष्ठों का सदन ) है जबकि दूसरे का नाम विधानसभा ( निम्न सदन / पहला सदन / लोकप्रिय सदन ) है ।

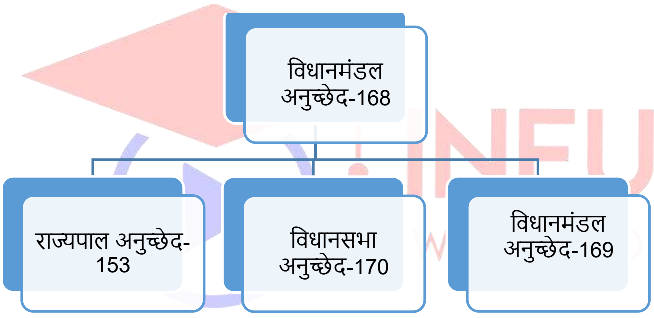


- **राज्य विधानपरिषद् व विधानसभा**

- **अनुच्छेद 170 के अनुसार** प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होगी । विधानसभा को निम्न सदन / पहला सदन भी कहा जाता है । )
- विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है।( फर्स्ट पास्ट द पोस्ट / अग्रता ही विजेता)
- इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। इनके बीच की संख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर निर्भर है ।
- हालाँकि अपवाद के तौर पर गोवा ( 40 ), सिक्किम ( 32 ), मिजोरम ( 40 ) और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी ( 30 ) है ।

**NOTE - संसद कानून बनाकर विधानसभा की सीटों में वृद्धि कर सकती है । इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है ।**

- वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य- उत्तरप्रदेश ( 404 ) , पश्चिम बंगाल ( 295) बिहार ( 243 ) महाराष्ट्र ( 288 )

**NOTE :** - दो केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली एव पुडुचेरी में विधानसभा है जहाँ क्रमशः 70 एवं 30 सदस्यों की संख्या है । जम्मू - कश्मीर को दो केन्द्रशासित प्रदेशों ( जम्मू - कश्मीर व लद्दाख ) में विभाजित कर दिया गया है । जम्मू - कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में भी विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है ।

- प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है जिसके बाद पुनः चुनाव होता है। आपात काल के दौरान, इसके सत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है ।
- विधानसभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी भंग किया जा सकता है ।
- विधानसभा को भी राज्यसभा व विधानपरिषद के सामान ही कानूनी ताकतें होती हैं ।
- **अनुच्छेद 170** के अनुसार राज्य के भीतर प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार आनुपातिक रूप से समान प्रतिनिधित्व होगा ।
- जनसंख्या का अभिप्राय वह पिछली जनगणना है जिसकी सूची प्रकाशित की गई है ।

- राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 है लेकिन प्रथम आम चुनाव ( वर्ष 1952 ) में राजस्थान की विधानसभा सीटें 160 थी जिसमें से 82 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी तथा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रामराज्य परिषद् ( 24 सीटें ) थी । छठी विधानसभा ( वर्ष 1977 ) में राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 हो गई । विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का

प्रावधान अनुच्छेद 332 में है । वर्तमान में कुल 200 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जाति व 25 सीटें अनुसचित जनजाति के लिए आरक्षित है ।

**प्रश्नः- सन् 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी । (RAS. Pre.2016)**
**(a) 200**
**(b) 160**
**(c) 188**
**(d) प्रत्येक जिले में तीन विधायक**
**उत्तर – (b)**

- **संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार** संसद विधि द्वारा विधान परिषद् का गठन या उन्मूलन कर सकती है । इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है ।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने सामान्य बहुमत से स्वीकृति देने पर संबंधित राज्य मे विधानपरिषद् का गठन एवं उन्मूलन होता है ।

**प्रश्नः- राज्य विधान परिषद के उत्सादन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौनसा कथन सही है? ( RAS. Pre. 2021)**

**(1) केन्द्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें।**

**(2) केन्द्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें।**

**(3) राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें।**

**(4) राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें। भारत के संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों का, सुमेलित युग्म पहचानिए**

**उत्तर – (1)**

- **NOTE – विधानपरिषद् के गठन व उत्सादन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है ।**
- वर्तमान में छः राज्यों में विधानपरिषद् हैं 1. आंध्रप्रदेश 2 तेलगांना 3. उत्तर प्रदेश 4 बिहार 5. महाराष्ट्र 6. कर्नाटक

- **NOTE – अप्रैल, 2012 में राजस्थान विधानसभा द्वारा विधानपरिषद् के गठन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया था । जिसमें विधानपरिषद् की संख्या 66 निर्धारित की गई थी । इस पर अगस्त, 2013 में राज्यसभा एक विधेयक लाया गया था जो वर्तमान में लम्बित है ।**

**अनुच्छेद 171 – विधान परिषद् की संरचना**
**संख्या : –** इसमें अधिकतम संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा की एक – तिहाई और न्यूनतम 40 निश्चित है ।
NOTE : - इनकी वास्तविक संख्या संसद निर्धारित करती है

**निर्वाचन पद्धति : –** विधानपरिषद् के सदस्य का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है ।
विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से –
(i)1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे- नगरपालिका , जिला परिषद् आदि के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है ।
(ii)1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है ।
(iii)1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है जिन्हें साहित्य , ज्ञान , कला , सहकारिता , समाज - सेवा का विशेष ज्ञान हो ।

केवल बैठक समाप्त होती है सत्र नहीं , लेकिन सत्रावसान से बैठक के साथ - साथ सत्र भी समाप्त हो जाता है ।

- राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद ( मुख्यमंत्री ) की सलाह पर विधानसभा को भंग ( विघटित ) कर सकता है ।

**अनुच्छेद 175** विधानमंडल के सदनों में अभिभाषण और किसी लंबित विधेयक के संबंध में उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार

**अनुच्छेद 176** राज्यपाल का विशेष अभिभाषण

**अनुच्छेद 177** सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

- महाधिवक्ता विधानमण्डल की बैठकों में भाग ले सकता है , बोल सकता है , चर्चा कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है क्योंकि वह विधानमण्डल का सदस्य नहीं होता ।
- महाधिवक्ता को विधानमण्डल की किसी भी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है ।

**अनुच्छेद 178** इसमें विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख मिलता है ।

- विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में अलग से शपथ ना लेकर विधानसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेते है ।
- राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष- **नरोत्तमलाल जोशी**
- राजस्थान को वर्तमान ( 15 वीं ) विधानसभा के अध्यक्ष- **चन्द्र प्रकाश जोशी**
- राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष - **सुमित्रा सिंह ( 12वीं विधानसभा में बनी )**
- राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर - कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष- **लक्ष्मणसिंह ( 6ठी विधानसभा में बने )**
- राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष - **रामनिवास मिर्धा ( 2 बार )**
- राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष - **समरथलाल मीणा ( 5 माह )**
- ऐसे मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे- **हीरालाल देवपुरा**
- ऐसे उपमुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे - **हरिशंकर भाभड़ा ( 2 बार )**
- राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष - **लालसिंह शकावत**
- राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष - **तारा भण्डारी**
- निम्न व्यक्ति राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पदों पर रहे :
- 1. निरंजन आचार्य 2. पूनमचंद विश्नोई . 4. शांतिलाल चपलोत 5. समरथलाल मीणा प्रसाद तिवाड़ी

**प्रश्नः- निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे हैं ? (RAS. PRE. 2018)**

**(1) पूनम चंद विश्नोई।**

**(2) निरंजन नाथ आचार्य**

**(3) शांतिलाल चपलोत**

**(4) परसराम मदेरणा**

**उत्तर – (1)**

**अनुच्छेद 182** इसमें विधानपरिषद के सभापति व उपसभापति के पद का उल्लेख मिलता है । विधानपरिषद के सदस्यों में से ही सभापति व उपसभापति को चुना जाता है । अतः विधानपरिषद के सभापति व उपसभापति का कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष होता है ।

**अनुच्छेद 179** विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त

- यदि विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष स्वयं त्याग पत्र दे दे ।
- यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा के सदस्य न रहे ।
- विधानसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा सकती है ।
- विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र , उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है ।
- विधानसभा के सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है लेकिन यह संकल्प सदन

- यह प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जा सकता है ।
- यह प्रस्ताव पारित नहीं होने पर सरकार गिर जाती है ।

**NOTE- राजस्थान विधानसभा में अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया है , लेकिन एक बार भी सरकार नहीं गिरी । 3 बार भैंरोसिंह शेखावत सरकार द्वारा तथा 2 बार अशोक गहलोत सरकार द्वारा लाया गया । सर्वप्रथम मार्च, 1990 मे भैंरोसिंह शेखावत सरकार द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया तथा अंतिम बार 14 अगस्त , 2020 को वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा लाया गया ।**

**प्रश्नः- राजस्थान विधान सभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई ?( RAS. Pre. 2016)**

**(A) एक बार**
**(B) दो बार**
**(C) तीन बार**
**(D) चार बार**
**उत्तर – (D)**

**स्थगन प्रस्ताव :**

- इस प्रस्ताव द्वारा ऐसे गंभीर विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है , जिन विषय पर शीघ्र विचार न होने पर गंभीर परिणाम हो सकते है ।
- एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव नही बनाया जाएंगे |
- विशेषाधिकार प्रस्ताव विशेषाधिकार का सवाल उठाएगा |
- प्रस्ताव बनाने के लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है |

**Q. राजस्थान विधानसभा में 'लोक महत्त्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव' की प्रक्रिया के नियम के सम्बन्ध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं ? (RAS. PRE. 2018)**

**(A) प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है।**
**(B) प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है।**
**(C) प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा।**
**(D) एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे।**

**सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए**
**कूटः**
**(1) (A), (B) और (C)**
**(2) (A), (B) और (D)**
**(3) (A), (C) और (D)**
**(4) (A) और (D)**
**उत्तर – (3)**

**<u>राजस्थान विधानसभा में समितियां</u>**

- विधायी समितियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां।
- राजस्थान विधानसभा में विभिन्न स्थायी समितियां हैं जिनमें से चार वित्तीय हैं और शेष अन्य विषयों से संबंधित है ।
- लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और दो अनुमान समितियां (प्राक्कलन समिति 'क' व प्राक्कलन समिति 'ख') वित्तीय समितियां हैं ।

**Q. सूची-I (14वीं राजस्थान विधान सभा. में 2015-16 के लिए वित्त समितियाँ) को सूची-II (उनके अध्यक्ष) से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए : ( RAS. PRE. 2015 )**

| सूची-I | सूची-II |
|---|---|
| A. लोक लेखा समिति | i. मोहन लाल गुप्ता |
| B. लोक उपक्रम समिति | ii. मदन राठौड़ |
| C. प्राक्कलन 'क' समिति | iii प्रद्युम्न सिंह |
| D. प्राक्कलन 'ख' समिति | iv. डॉ. गोपाल कृष्ण |

**कूटः**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| (1) | iii | i | ii | iv |
| (2) | i | iii | iv | ii |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | श्री हरिशंकर भाभड़ा | 16.03.1990 से 21.12.1993<br>30.12.1993 से 05.10.1994 |
| 11. | श्री शांतिलाल चपलोत | 07.04.1995 से 18.03.1998 |
| 12. | श्री समरथलाल मीणा | 24.07.1998 से 04.01.1999 |
| 13. | श्री परसराम मदेरणा | 06.01.1999 से 15.01.2004 |
| 14. | श्रीमती सुमित्रासिंह | 16.01.2004 से 01.01.2009 |
| 15. | श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत | 02.01.2009 से 20.01.2014 |
| 16. | श्री कैलाश मेघवाल | 22.01.2014 से 15.01.2019 |
| 17. | श्री सी.पी. जोशी | 16.01.2019 से लगातार |

## अभ्यास प्रश्न

**1. विधानसभा अध्यक्ष होता है-**

A. नियुक्त B. चयनित

C. निर्वाचित D. मनोनीत

**उत्तर (B)**

**2. विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं ?**

A. राज्यपाल B. मुख्यमंत्री

C. विधानसभा अध्यक्ष D. विधानपरिषद के सभा

**उत्तर (A)**

**3. विधानसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है ?**

A. 168 B. 169

C. 170 D. 165

**उत्तर (C)**

**4. विधानमंडल का उल्लेख संविधान में वर्णित है-**

A. भाग-4, अनुच्छेद : 168-218

B. भाग-6, अनुच्छेद : 168-212

C. भाग-8, अनुच्छेद :169-211

D. भाग-11, अनुच्छेद :167-213

**उत्तर (B)**

**5. भारत के किस राज्य में अब तक विधान परिषद नहीं बनी है यद्यपि संविधान द्वारा सातवें संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है ?**

A. महाराष्ट्र B. बिहार

C. कर्नाटक D. मध्य प्रदेश

**उत्तर (D)**

**6. राजस्थान में प्रथम विधानसभा कब गठित हुई?**

A. 26 अप्रैल, 1952

B. 26 जुलाई, 1952

C. 29 अप्रैल, 1952

D. 29 फ़रवरी,1952

**उत्तर (D)**

**7. निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है ?( RAS. Pre. 2016)**

**A. लोक सभा B. राज्य सभा**

**C. विधान परिषद् D. विधान सभा**

**उत्तर (C)**

**8. निम्न में से कौनसा असत्य कथन है ?**

A. राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है।

B. विधानपरिषद् का सृजन व समापन संसद करती है

C. किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 40 तथा अधिकतम 550 सीटें हो सकती है ।

D. राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा

**उत्तर (D)**

**9. किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई ?**

A. चौथी B. छठी

C. पाँचवीं D. सातँवी

**उत्तर (B)**

# अध्याय - 7

## स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था

### प्राचीनकाल में

- वैदिककाल में सभा , समिति , विदथ नामक राजनीतिक संस्थायें थी जो स्थानीय पंचायत और केन्द्रीय सभा का कार्य करती थी ।
- अथर्ववेद में ग्रामणी शब्द का उल्लेख मिलता है जो ग्राम का प्रमुख होता था ।
- बौद्धकाल में ' ग्राम ' का मुखिया ' ग्रामयोजक ' होता था ।
- मौर्यकाल में ग्रामसभा का मुखिया ' ग्रामिक ' कहलाता था ।
- सर्वप्रथम ग्राम पंचायत व्यवस्था स्वरुप ' चोल साम्राज्य ' में प्राप्त होता है । चोलकाल में पंचायत को ' ऊर ' कहा जाता था ।
- मुगलकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ' ग्राम ' थी जिसका मुखिया ' मुकद्दम ' या ' चौधरी ' कहलाता था तथा मुगलकाल में नगर का प्रमुख ' कोतवाल ' कहलाता था ।

### ब्रिटिश भारत में

- ब्रिटिश भारत में स्थानीय शासन का आरम्भ वर्ष 1688 से मद्रास नगर निगम की से माना जाता है
- राजस्थान में प्रथम नगरपालिका वर्ष 1864 में ' माउण्ट आबू ' में स्थापित की गई ।
- भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक ' लॉर्ड रिपन ' को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जिला बोर्ड ग्राम पंचायत , न्याय पंचायत का गठन किया एवं स्थानीय निकायों के विकास का प्रस्ताव तैयार किया । लॉर्ड रिपन के इसी प्रस्ताव को ' स्थानीय शासन ' का मैग्नाकार्टा कहा जाता है ।
- वर्ष 1919 में मान्टेग्यू चेम्स फोर्ड अधिनियम के तहत् स्थानीय स्वशासन को हस्तान्तरित विषयों में शामिल किया गया तथा वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रान्तीय / राज्य सूची में रखा गया ।
- राजस्थान में बीकानेर प्रथम रियासत थी जिसने वर्ष 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया ।
- महात्मा गाँधी ने ' ग्राम स्वराज्य ' की कल्पना अपनी पुस्तक ' माई पिक्चर ऑफ फ्री इण्डिया ' में की ।
- पंचायतीराज राज्य सूची का विषय है ।

### पंचायती राज

- पंचायतीराज भारतीय संविधान के भाग -4 ( नीति - निर्देशक तत्व ) के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत ( पंचायतीराज ) की व्यवस्था की गई है ।
- प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर , 1952 को ' सामुदायिक विकास कार्यक्रम ' चलाया गया फोर्ड फाउण्डेशन के सहयोग से लेकिन सरकारी मशीनरी ( नौकरशाहों ) के अत्यधिक हस्तक्षेप व जनसहभागिता की कमी के कारण यह कार्यक्रम असफल रहा । 2 अक्टूबर , 1953 को ' राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम ' चलाया गया । इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य - ग्रामीण विकास था लेकिन यह कार्यक्रम असफल रहे ।
- 'पंचायती राज' और 'नगरपालिका प्रणाली' को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने में एक लम्बा संघर्ष करना पड़ा।
- वर्ष 1957 में ' सामुदायिक विकास कार्यक्रम ' व ' राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम ' की असफलता की जाँच हेतु गठित समिति **बलवन्त राय मेहता समिति** ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की जिसे स्वीकार कर लिया गया साथ ही सभी राज्यों को इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा गया।
- सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर (बगदरी गाँव) जिले में 2 अक्टूबर, 1959 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी और उसी दिन इसे सम्पूर्ण राज्य (राजस्थान) में लागू कर दिया गया।

**प्रश्नः- वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए है ? (RAS. pre. 2016)**

**(A) 5 बार** **(B) 8 बार**
**(C) 9 बार** **(D) 10 बार**

**उत्तर - (D)**

- किन्तु वाँछित सफलता प्राप्ति में कमी ने इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया। अनेक समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने

अपनी सिफारिशों से पंचायती राज को मजबूती प्रदान की।

| क्र.सं. | वर्ष | समिति का नाम | प्रमुख सिफारिशें |
|---|---|---|---|
| 1. | 1957 | बलवंत राय मेहता | • लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की ।<br>• पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए । **i.जिला स्तर पर - जिला परिषद**<br>**ii. ब्लॉक ( खण्ड ) स्तर पर - पंचायत समिति**<br>**iii. ग्राम स्तर पर ( सबसे निचला स्तर ) - ग्राम पंचायत**<br>• जिला परिषद का अध्यक्ष , जिला कलेक्टर को बनाये जाने की सिफारिश की ।<br>• इन्होंने मध्य / खण्ड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की । |
| 2. | 1977 | अशोक मेहता | • पंचायतीराज का ढाँचा द्विस्तरीय होना चाहिए ।<br>**i. जिला स्तर जिला परिषद**<br>**ii.मण्डल स्तर पर पंचायत समिति**<br>• इस समिति ने ग्राम पंचायत ( निम्न स्तर ) को समाप्त करने की सिफारिश की ।<br>• इस समिति ने जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की ।<br>• अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की ।<br>• दलगत प्रणाली के आधार पर पंचायतीराज के चुनाव कराने की सिफारिश की ।<br>• पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष करने की सिफारिश ।<br>• पंचायतीराज संस्थाओं के मामलों की देखरेख हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश की ।<br>• न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की । |
| 3. | 1985 | जी.वी.के. राव समिति | • पंचायतीराज का ढाँचा चार स्तरीय होना चाहिए :- **i. राज्य स्तर पर** - राज्य परिषद<br>**ii. जिला स्तर पर** - जिला परिषद<br>**iii. खण्ड स्तर पर**- पंचायत समिति<br>**iv. ग्राम स्तर पर** - ग्राम पंचायत<br>• इस समिति ने खण्ड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की ।<br>• जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन करने की सिफारिश की ।<br>• इस समिति ने अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • पंचायतीराज संस्थाओं के नियमित चुनाव कराये जाने की सिफारिश की ।<br>• पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष करने की सिफारिश की ।<br>• इस समिति ने पंचायतीराज संस्थाओं को ' बिना जड़ की घास ' कहा । इस समिति को ' कार्ड समिति ' के नाम से भी जाना जाता है । |
| 4. | 1986 | एल.एम. सिंघवी | • पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए ।<br>• पंचायतीराज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की<br>• न्याय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया ।<br>• ग्राम सभा को महत्व देने की सिफारिश की तथा<br>• ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कहा ।<br>• राज्य वित्त आयोग की स्थापना की सिफारिश |
| 5. | 1988 | पी.के. थुंगन | • पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए ।<br>• पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश ।<br>• पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए ।<br>• जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की ।<br>• इस समिति ने पंचायतीराज को संघ सूची का विषय बनाने की सिफारिश की। |
| 6. | 1963 | के. संधानम | |
| 7. | 1966 | जी. रामचन्द्रन | |
| 8. | 1976 | दया चौबे | |
| 9. | 1978 | दांतेवाला | |
| 10. | 1984 | हनुमंतराव | |
| 11. | 1988 | वी. एन. गॉडगिल | |

**पंचायती राज व्यवस्था से सम्बंधित राजस्थान में गठित समितियाँ**

| क्र.सं. | समिति का नाम | वर्ष | सिफारिशें |
|---|---|---|---|
| 1. | सादिक अली | 1964 | • इस समिति ने प्रधान व जिला प्रमुख का चुनाव , वृहत्तर निर्वाचक मण्डल से करवाने का सुझाव दिया जिसमें ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तथा सभी सदस्य सम्मिलित हो । |
| 2. | गिरधारीलाल व्यास समिति | 1973 | • इस समिति ने ग्रामसेवक / पदेन सचिव / ग्राम विकास अधिकारी ( V.D.O. ) का पद सृजित करने की सिफारिश की तथा पंचायतीराज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन दिये जाने पर बल । |

राज्य वित्त आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है।

**प्रश्नः- संविधान में कौन सा भाग पंचायत से सम्बन्धित है? (RAS. PRE. 2015)**
**(1) भाग-आठ**
**(2) भाग-नौ**
**(3) भाग-नौ-ए**
**(4) भाग-नौ-बी**
**उत्तर- (2)**

- इस अधिनियम द्वारा स्थापित पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर उन्हें विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना और गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है।

| इस प्रकार, भारत में पंचायती राज शक्तियों के विकेन्द्रीकरण, प्रशासन में लोगों की भागीदारी तथा सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है **अनुच्छेद** | **उल्लेख** |
|---|---|
| 243 | परिभाषाएँ |
| 243 क ( A ) | ग्राम सभा |
| 243 ख ( B ) | पंचायतों का गठन |
| 243 ग ( C ) | पंचायतों की सरचना |
| 243 घ ( D ) | स्थानों का आरक्षण |
| 243 ङ ( E ) | पंचायतों की अवधि आदि |
| 243 च ( F ) | सदस्यता के लिए निर्हताएं |
| 243 छ ( G ) | पंचायतों की शक्तियां , प्राधिकार और उत्तरदायित्व |
| 243 ज ( H ) | पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ |
| 243 झ ( I ) | वित्तीय स्थिति के लिए वित्त आयोग का गठन |
| 243 ञ ( J ) | पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा |
| 243 ट ( K ) | पंचायतों के लिए निर्वाचन |
| 243 ठ ( L ) | संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना |
| 243 ड ( M ) | इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना |
| 243 ढ ( N ) | विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना |
| 243 ण ( O ) | निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन |

**अनुच्छेद 243** इसमें ग्राम , ग्राम सभा , पंचायत , पंचायत क्षेत्र , मध्यवर्ती स्तर व जिला की परिभाषाएँ हैं । **ग्राम सभा -** मतदाता सूची में पंजीकृत ग्राम के सभी मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा बनती है । ग्राम सभा को अनुच्छेद 243 में परिभाषित किया गया है अर्थात ग्राम सभा एक संवैधानिक इकाई है ।

**243 क ( A ) ग्राम सभा**

- ग्राम सभा को पंचायतीराज का बुनियादी ढाँचा कहा जाता है। ग्राम सभा की बैठक सरपंच बुलाता है । सामान्यत वर्ष में 4 बैठके होती है ( 26 जनवरी , 1 मई , 15 अगस्त , 2 अक्टूबर ) लेकिन वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी आवश्यक है ।

- गणपति कुल सदस्यों का 1/10 होती है।
- ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है , सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच करता है । सरपंच व उपसरपंच दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक करता है ।
- ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाहियों का ब्यौरा ग्राम विकास अधिकारी ( VDO ) एक रजिस्टर में लिखेगा तथा सरपंच उस पर हस्ताक्षर करेगा ।
- संयुक्त बैठक - जब एक ही ग्राम पंचायत के दो गाँवों के मध्य सीमा विवाद , चारागाह को लेकर विवाद होते है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ।
- ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान राजस्थान पंचायतीराज नियम 2011 में किया गया है ।

**Q. निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम/नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है ? (RAS. PRE. 2018)**

**(1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994**

**(2) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996**

**(3)राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनूसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999**

**(4)राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011**

**उत्तर – (4)**

- एक व्यक्ति एक से अधिक ग्राम पंचायतों की सूची में पंजीकृत नहीं हो सकता । ग्राम सभा की सदस्यता से संबंधित उत्पन्न विवाद का निर्णय सरपंच करता है ।
- व्यक्ति आजीवन ग्राम सभा का सदस्य रहता है । ग्राम सभा , राज्यसभा की तरह एक स्थायी संस्था है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है ।

**पंचायतों का गठन और संरचना**

- **अनुच्छेद 243 (b)** भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधन करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिलास्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है, किन्तु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है।
- भारत में पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है, जहाँ चार स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। वहाँ पंचायतों के चार स्तर यथा ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद् और जिला परिषद् हैं।
- **अनुच्छेद 243 (c)** में पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्य विधानमण्डल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के सम्बन्ध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- परन्तु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या में अनुपात समस्त राज्य में यथा संभव एक ही होगा।
- पंचायतों के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाएंगे।
- ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार होगा तथा मध्यवर्ती व जिला पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा।

| **सरपंच** | **उपसरपंच** | **वार्डपंच** |
|---|---|---|
| • ग्राम पंचायत का अध्यक्ष<br>• प्रत्यक्ष चुनाव ( व्यस्क मतदाताओं द्वारा )<br>• **शपथ-** निर्वाचन अधिकारी<br>• **त्यागपत्र-** विकास अधिकारी<br>**अविश्वास प्रस्ताव-** | • उपाध्यक्ष<br>• अप्रत्यक्ष चुनाव ( वार्ड पचो द्वारा)<br>• **शपथ -** निर्वाचन अधिकारी<br>• **त्यागपत्र -** विकास अधिकारी<br>• **अविश्वास प्रस्ताव-** सरपंच के समान प्रक्रिया द्वारा उपसरपच को हटाया जा सकता है । | • ग्राम पंचायत का सदस्य<br>• प्रत्यक्ष चुनाव ( व्यस्क मतदाता द्वारा )<br>• **शपथ-** निर्वाचन अधिकारी<br>• **त्यागपत्र -** विकास अधिकारी<br>• **अविश्वास प्रस्ताव-** नहीं लाया जा सकता है । |

| | | |
|---|---|---|
| • प्रारम्भिक वर्ष तथा अंतिम । वर्ष में नहीं लाया जा सकता है ।<br>• यह प्रस्ताव 3/4 बहुमत से पारित होना जरुरी । | | |

| **पंचायत समिति प्रधान** | **उपप्रधान** | **पंचायत समिति सदस्य** |
|---|---|---|
| • पचायत समिति का अध्यक्ष<br>• **निर्वाचन-** अप्रत्यक्ष निर्वाचन पचायत समिति सदस्यों द्वारा<br>• **शपथ-** उपखंड अधिकारी<br>• **त्यागपत्र-** जिला प्रमुख<br>**अविश्वास प्रस्ताव-**<br>• प्रारम्भिक वर्ष तथा अंतिम । वर्ष में नहीं लाया जा सकता है ।<br>• यह प्रस्ताव 3/4 बहुमत से पारित होना जरुरी । | • उपाध्यक्ष<br>• **निर्वाचन-** अप्रत्यक्ष निर्वाचन पचायत समिति सदस्यों द्वारा<br>• **शपथ-** उपखंड अधिकारी<br>• **त्यागपत्र –** प्रधान<br>• **अविश्वास प्रस्ताव-** प्रधान के समान प्रक्रिया द्वारा उपप्रधान को हटाया जा सकता है । | • पंचायत समिति का सदस्य<br>• प्रत्यक्ष चुनाव ( व्यस्क मतदाता द्वारा )<br>• **शपथ-** निर्वाचन अधिकारी<br>• **त्यागपत्र –** प्रधान<br>• **अविश्वास प्रस्ताव-** नहीं लाया जा सकता है । |

| **जिला प्रमुख** | **उप- जिला प्रमुख** | **जिला परिषद सदस्य** |
|---|---|---|
| • जिला परिषद् का अध्यक्ष<br>• **निर्वाचन-** अप्रत्यक्ष निर्वाचन जिला परिषद् सदस्यों द्वारा<br>• **शपथ-** जिला कलेक्टर<br>• **त्यागपत्र-** संभागीय आयुक्त<br>**अविश्वास प्रस्ताव-**<br>• प्रारम्भिक वर्ष तथा अंतिम । वर्ष में नहीं लाया जा सकता है ।<br>• यह प्रस्ताव 3/4 बहुमत से पारित होना जरुरी । | • उपाध्यक्ष<br>• **निर्वाचन-** अप्रत्यक्ष निर्वाचन जिला परिषद् सदस्यों द्वारा<br>• **शपथ-** जिला कलेक्टर<br>• **त्यागपत्र –** जिला प्रमुख<br>• **अविश्वास प्रस्ताव-** जिला प्रमुख के समान प्रक्रिया द्वारा उपप्रधान को हटाया जा सकता है । | • पंचायत समिति का सदस्य<br>• प्रत्यक्ष चुनाव ( व्यस्क मतदाता द्वारा )<br>• **शपथ-** निर्वाचन अधिकारी<br>• **त्यागपत्र –** जिला प्रमुख<br>• **अविश्वास प्रस्ताव-** नहीं लाया जा सकता है । |

**<u>अनुच्छेद 243 घ ( D ) स्थानों का आरक्षण</u>**

- 73वें संशोधन द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया तथा पंचायतीराज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा ।
- सभी पदों पर सभी वर्गों में महिलाओं के लिए एक तिहाई ( 33 % ) आरक्षण का प्रावधान किया गया ।
- वर्ष 2009 में महिलाओं के लिए 50 % आरक्षण की व्यवस्था की गई ।
- अन्य पिछड़ा वर्ग ( OBC ) को पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षण दिया जायेगा या नहीं यह राज्य विधानमण्डल विधि बनाकर तय करेगा ।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

नोट – प्रिय उम्मीदवारों, यहाँ हमने केवल SAMPLE ही दिया है, पूरा टॉपिक नही दिया है / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए नीचे दिए गये हमारे संपर्क नंबर पर कॉल कीजिए या लिंक पर क्लिक करें / दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी "RPSC RAS (PRE.)" की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे और आप "INFUSION NOTES" के साथ इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे, धन्यवाद /

RAS Pre. 2021 की परीक्षा में हमारे नोट्स में से 74 प्रश्न आये थे, जबकि cutoff मात्र 64 प्रश्न पर गयी थी /

संपर्क करें – 8233195718, 8504091672, 9694804063, 7014366728,

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम –

| EXAM (परीक्षा) | DATE | हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्न |
|---|---|---|
| RAS PRE. 2021 | 27 अक्तूबर | 74 प्रश्न आये |
| REET (लेवल -1, 2) | 2021 | 98 (150 में से) |
| SSC GD 2021 | 16 नवम्बर | 68 (100 में से) |
| SSC GD 2021 | 30 नवम्बर | 66 (100 में से) |
| SSC GD 2021 | 01 दिसम्बर | 65 (100 में से) |
| SSC GD 2021 | 08 दिसम्बर | 67 (100 में से) |
| राजस्थान S.I. 2021 | 13 सितम्बर | 113 (200 में से) |

| | | |
|---|---|---|
| राजस्थान S.I. 2021 | 14 सितम्बर | 119 (200 में से) |
| राजस्थान S.I. 2021 | 15 सितम्बर | 126 (200 में से) |
| RAJASTHAN PATWARI 2021 | 23 अक्तूबर (Ist शिफ्ट) | 79 (150 में से) |
| RAJASTHAN PATWARI 2021 | 23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट) | 103 (150 में से) |
| RAJASTHAN PATWARI 2021 | 24 अक्तूबर (Ist शिफ्ट) | 95 (150 में से) |
| RAJASTHAN PATWARI 2021 | 24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट) | 91 (150 में से) |
| RAJASTHAN VDO 2021 | 27 दिसंबर (1st शिफ्ट) | 59 (100 में से) |
| RAJASTHAN VDO 2021 | 27 दिसंबर (2nd शिफ्ट) | 61 (100 में से) |
| RAJASTHAN VDO 2021 | 28 दिसंबर (1st शिफ्ट) | 56 (100 में से) |
| RAJASTHAN VDO 2021 | 28 दिसंबर (2nd शिफ्ट) | 57 (100 में से) |
| U.P. SI 2021 | 14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट | 91 (160 में से) |
| U.P. SI 2021 | 21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट) | 89 (160 में से) |

## & Many More Exams like REET, UPSC, SSC Etc.

**दोस्तों, इनका proof देखने के लिए नीचे दी गयी लिंक पर क्लिक करें या हमारे youtube चैनल पर देखें –**

**RAS PRE. 2021 –** https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=136s

**VDO PRE. –** https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

**Patwari –** https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=103s

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अन्य परीक्षाओं में भी इसी तरह प्रश्न आये हैं Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (Infusion Notes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।

संपर्क करें- 7014366728, 8233195718, 9694804063, 8504091672

| | |
|---|---|
| ONLINE ORDER के लिए OFFICIAL WEBSITE | Website- https://bit.ly/ras-pre-notes |
| PHONE NUMBER | +918504091672<br>9887809083<br>+918233195718<br>9694804063 |
| TELEGRAM | https://t.me/infusion_notes |
| FACEBOOK PAGE | https://www.facebook.com/infusion.notes |
| WHATSAPP करें | https://wa.link/6r99q8 |

# राजस्थान की अर्थव्यवस्था

## अध्याय – 1

## अर्थव्यवस्था का वृहत् परिदृश्य

प्रचलित कीमतों पर **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** (जीएसडीपी) **वर्ष 2021-22** के लिए **₹11.96 लाख करोड़** होने का अनुमान है, जबकि **वर्ष 2020-21** के दौरान यह **₹10.13 लाख करोड़** था, जो कि **पिछले वर्ष** की तुलना में **18.04 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2021-22 में स्थिर (2011-12) कीमतों पर **सकल राज्य घरेलू उत्पाद** अनुमान **₹7.33 लाख करोड़** अनुमानित किया गया है जो कि वर्ष **2020-21 के ₹6.60 लाख करोड़** से **11.04 प्रतिशत की वृद्धि** दर्शाता है।

प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) वर्ष **2021-22** के लिए ₹**10.79 लाख करोड़** होने का अनुमान है, जबकि **वर्ष 2020-21** के दौरान यह **₹9.14 लाख करोड़** था, जो कि **पिछले वर्ष** की तुलना में **18.01 प्रतिशत** की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष **2021-22** में स्थिर (2011-12 ) कीमतों पर **शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद** अनुमान **₹6.48 लाख करोड़** अनुमानित किया गया है, जो कि **वर्ष 2020-21 के ₹5.84 लाख करोड़ से 11.05 प्रतिशत की वृद्धि** दर्शाता है।

प्रचलित कीमतों पर **प्रति व्यक्ति आय** वर्ष **2021-22** में **₹1,35,218** अनुमानित की गई है, जो कि गत वर्ष **2020-21** की **₹1,15,933** से 16.63 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। **स्थिर (2011-12) कीमतों** पर **प्रति व्यक्ति आय** वर्ष **2021-22** में **₹81,231** अनुमानित की गई है, जो कि गत वर्ष **2020-21** की ₹**74,009 से 9.76** प्रतिशत की **वृद्धि को दर्शाती** है।

**आर्थिक विकास के मुख्य सूचक**

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | सकल राज्य घरेलू उत्पाद<br>(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर<br>प्रचलित मूल्यों पर | रु. करोड़ | 628020<br>832529 | 642929<br>911674 | 679564<br>999050 | 660118<br>1013323 | 733017<br>1196137 |
| 2. | सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर<br>(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर<br>(ब) प्रचलित मूल्यों पर | प्रतिशत | 5.24<br>9.46 | 2.37<br>9.51 | 5.70<br>9.58 | -2.86<br>1.43 | 11.04<br>18.04 |
| 3. | सकल राज्य मूल्य वर्धन<br>स्थिर (2011-12) बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान<br>(अ) कृषि | प्रतिशत | 25.20 | 26.14 | 28.05 | 30.45 | 28.85 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (ब) उद्योग<br>(स) सेवाएँ | | 32.52<br>42.28 | 27.65<br>46.21 | 26.09<br>45.86 | 25.26<br>44.29 | 26.34<br>44.81 |
| 4. | सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान<br>(अ) कृषि<br>(ब) उद्योग<br>(स) सेवाएँ | प्रतिशत | 26.14<br>29.23<br>44.63 | 25.88<br>26.26<br>47.86 | 27.83<br>24.54<br>47.63 | 30.98<br>23.42<br>45.60 | 30.23<br>24.67<br>45.10 |
| 5. | शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद<br>(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर<br>(ब) प्रचलित मूल्यों पर | रु.करोड़ | 557618<br>748490 | 568102<br>819340 | 598550<br>898081 | 583645<br>914262 | 648142<br>1078903 |
| 6. | प्रति व्यक्ति आय<br>(अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर<br>(ब) प्रचलित मूल्यों पर | रु. | 73529<br>98698 | 73929<br>106624 | 76882<br>115356 | 74009<br>115933 | 81231<br>135218 |
| 7. | सकल स्थाई पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर | रु.करोड़ | 236069 | 265091 | 283423 | 276473 | - |
| 8. | कृषि उत्पादन सूचकांक * (आधार वर्ष 2005- 06 से 2007-08 =100) | | 170.17 | 183.07 | 202.56 | 204.97 | |
| 9. | कुल खाद्यान्न उत्पादन * | लाख मै. टन | 221.05 | 231.60 | 266.35 | 269.09+ | 225.20- |
| 10. | औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12 = 100) | | 133.08 | 140.37 | 126.90 | 122.34@ | 131.33@@ |
| 11. | थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000 = 100)<br>प्रतिशत परिवर्तन | | 292.34<br>1.78 | 301.74<br>3.22 | 316.00<br>4.73 | 337.70<br>6.87 | 369.01$<br>9.27 |
| 12. | अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा) | मेगावाट | 19553 | 21078 | 21176 | 21979 | 23321$ |
| 13. | वाणिज्यिक बैंक साख (सितम्बर) | रु.करोड़ | 219643 | 267523 | 315149 | 343406 | 375030 |

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

| | |
|---|---|
| कृषि वर्ष से सम्बन्धित है ! | प्रावधानिक |
| + अन्तिम | प्रावधानिक दिसम्बर, 2021 तक |
| - अग्रिम | दिसम्बर. 2021 तक |

| भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान का योगदान (2021-22) | |
|---|---|
| **अर्थव्यवस्था का आकार** | |
| | प्रचलित मूल्यों पर<br>अखिल भारत : रु.232.15 लाख करोड़<br>राजस्थान : रु.11.96 लाख करोड़ |
| | **भारत की जी.डी.पी.में राज्य का प्रतिशत योगदान**<br>प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान : 5.15 |
| | **जीडीपी / जीएसडीपी विकास दर (%)**<br>स्थिर (2011-12) मूल्यों पर<br>भारत : 9.2<br>राजस्थान : 11.04 |
| | **प्रति व्यक्ति आय**<br>प्रचलित मूल्यों पर<br>भारत : रु. 1,50,326<br>राजस्थान : रु.1,35,218 |
| **सामाजिक संकेतक** | |
| | **साक्षरता दर (%)**<br>(2011 की जनगणना के अनुसार)<br>भारत : 73.0<br>राजस्थान : 66.1 |

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

**डाक और दूरसंचार** (मार्च, 2021)

**डाक घर –**

भारत : 1,56,721

राजस्थान : 10,287

**दूरसंचार ग्राहक (करोड़)**

भारत : 120.12

राजस्थान : 6.68

## थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

राज्य का **सामान्य थोक मूल्य सूचकांक** ( आधार वर्ष 1999-2000=100) वर्ष **2020** के **330.86** से **बढ़कर** वर्ष 2021 में **363.23** हो गया है, जो कि गत वर्ष से **9.78 प्रतिशत** की वृद्धि को दर्शाता है। गत वर्ष से प्राथमिक वस्तु ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक एवं विनिर्मित उत्पाद समूह के सूचकांक में क्रमशः **14.10, 11.91 तथा 4.91 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है। जबकि अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12-100) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष **2021 में 10.67 प्रतिशत** की **वृद्धि** हुई है। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माह सितम्बर, 2020 से आधार वर्ष 2016=100 पर जारी किये जा रहे हैं, जिसमें राज्य में अजमेर केन्द्र के स्थान पर अलवर केन्द्र को शामिल किया गया है। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016 -100) में दिसम्बर, 2021 में बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई है, जिसमें दिसम्बर, 2020 की तुलना में अलवर केंद्र में 5.0 प्रतिशत, भीलवाड़ा केंद्र में 3.9 प्रतिशत और जयपुर केंद्र में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

## बैंकिंग एवं वित्त

राज्य में बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली का व्यापक नेटवर्क विद्यमान है। राज्य में सितंबर, **2021 में कुल 7,791 बैंक कार्यालय / शाखाएँ हैं, जिनमें से 4,219 सार्वजनिक क्षेत्र, 1,575 क्षेत्रीय ग्रामीण, 1,560 निजी क्षेत्र, 9 विदेशी, 393 लघु वित्त और 35 भुगतान बैंक शाखाएं / कार्यालय हैं।**

राजस्थान में सितम्बर, 2021 में **जमाओं में** सितम्बर, 2020 की तुलना में **9.03 प्रतिशत** की **वृद्धि** हुई है, जबकि इसी अवधि में **अखिल भारतीय स्तर** पर यह **वृद्धि 10.08 प्रतिशत** रही है। सितम्बर, 2021 में राजस्थान में समस्त सूचीबद्ध **वाणिज्यिक बैंकों** का साख-जमा **अनुपात 75.53 प्रतिशत** रहा है एवं अखिल भारतीय स्तर पर यह अनुपात 70.01 प्रतिशत रहा है, जबकि सितम्बर, 2020 तक राजस्थान में यह अनुपात 75.41 प्रतिशत तथा अखिल भारतीय स्तर पर 72.04 प्रतिशत रहा था।

**राजस्थान की प्रमुख विशेषताओं का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण**

| सूचक | वर्ष | इकाई | राजस्थान | भारत |
|---|---|---|---|---|
| भौगोलिक क्षेत्रफल | 2011 | लाख वर्ग किमी. | 3.42 | 32.87 |
| जनसंख्या | 2011 | करोड़ | 6.85 | 121.09 |
| दशकीय वृद्धि दर | 2001-2011 | प्रतिशत | 21.3 | 17.7 |
| जनसंख्या घनत्व | 2011 | जनसंख्या प्रति वर्ग किमी. | 200 | 382 |

**राजस्थान एवम अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर**

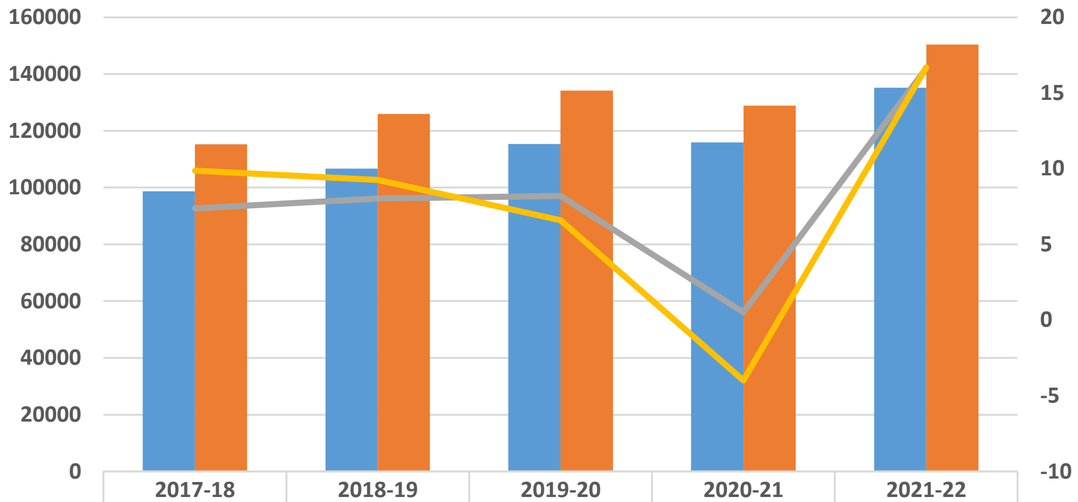


| | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्थान | 98698 | 106624 | 115356 | 115933 | 135218 |
| अखिल भारत | 115224 | 125883 | 134186 | 128829 | 150326 |
| वृद्धि दर राजस्थान | 7.37 | 8.03 | 8.19 | 0.5 | 16.63 |
| वृद्धि दर अखिल भारत | 9.86 | 9.25 | 6.6 | -3.99 | 16.69 |

राजस्थान अखिल भारत

1. प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष 2021-22 के लिए होने का अनुमान है,
   a. ₹11.96 लाख करोड़
   b. ₹12.96 लाख करोड़
   c. ₹09.96 लाख करोड़
   d. ₹13.96 लाख करोड़

   Ans-(a)

2. प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) वर्ष 2021-22 के लिए होने का अनुमान है
   a. ₹11.79 लाख करोड़
   b. ₹10.79 लाख करोड़
   c. ₹12.79 लाख करोड़
   d. ₹13.79 लाख करोड़

   Ans- (b)

3. राज्य में सितंबर, 2021 में कुल बैंक कार्यालय / शाखाएं हैं
   a. 7,591 b. 7,491
   c. 8,791 d. 7,791

   Ans- (c)

4. प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2020 21 में प्रति व्यक्ति आय
   a. 2,35,218 b. 1,35,218
   c. 1,30,218 d. 4,35,218

   Ans- (b)

5. स्थिर मूल्य पर वर्ष 2020 21 में प्रति व्यक्ति आय
   a. 81,231 ₹ b. 61,231₹
   c. 91,231₹ d. 71,231₹

   Ans- (a)

6. राजस्थान में कार्य सहभागिता दर
   a. 33.6 b. 63.6
   c. 93.6 d. 43.6

   Ans- (d)

7. राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक
   a. 263.23 b. 363.23
   c. 463.23 d.163.23

   Ans- (b)

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

## भू-उपयोग

- **राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2019-20** में **342.90 लाख हैक्टेयर** है। इसमें **से 8.08 प्रतिशत क्षेत्रफल (27.70 लाख हैक्टेयर)** वानिकी के अन्तर्गत, **5.85 प्रतिशत क्षेत्रफल (20.07 लाख हैक्टेयर) कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि के अन्तर्गत, 6.92 प्रतिशत क्षेत्रफल (23.72 लाख हैक्टेयर)** ऊसर तथा **कृषि अयोग्य भूमि** के अन्तर्गत, **4.86 प्रतिशत**
- क्षेत्रफल **(16.67 लाख हैक्टेयर)** स्थायी **चारागाह तथा** अन्य **गोचर भूमि के अन्तर्गत, 0.08 प्रतिशत** क्षेत्रफल **(0.29 लाख हैक्टेयर)** वृक्षों के झुण्ड तथा बाग के अन्तर्गत, 10.84 प्रतिशत क्षेत्रफल **(37.17 लाख हैक्टेयर)** बंजर भूमि के अन्तर्गत, **6.25 प्रतिशत** क्षेत्रफल **(21.42 लाख हैक्टेयर)** अन्य चालू पड़त भूमि के अन्तर्गत, **4.54 प्रतिशत क्षेत्रफल (15.55 लाख हैक्टेयर)** चालू पड़त के अन्तर्गत एवं **52.58 प्रतिशत (180.32 लाख हैक्टेयर) शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के अन्तर्गत है ।**

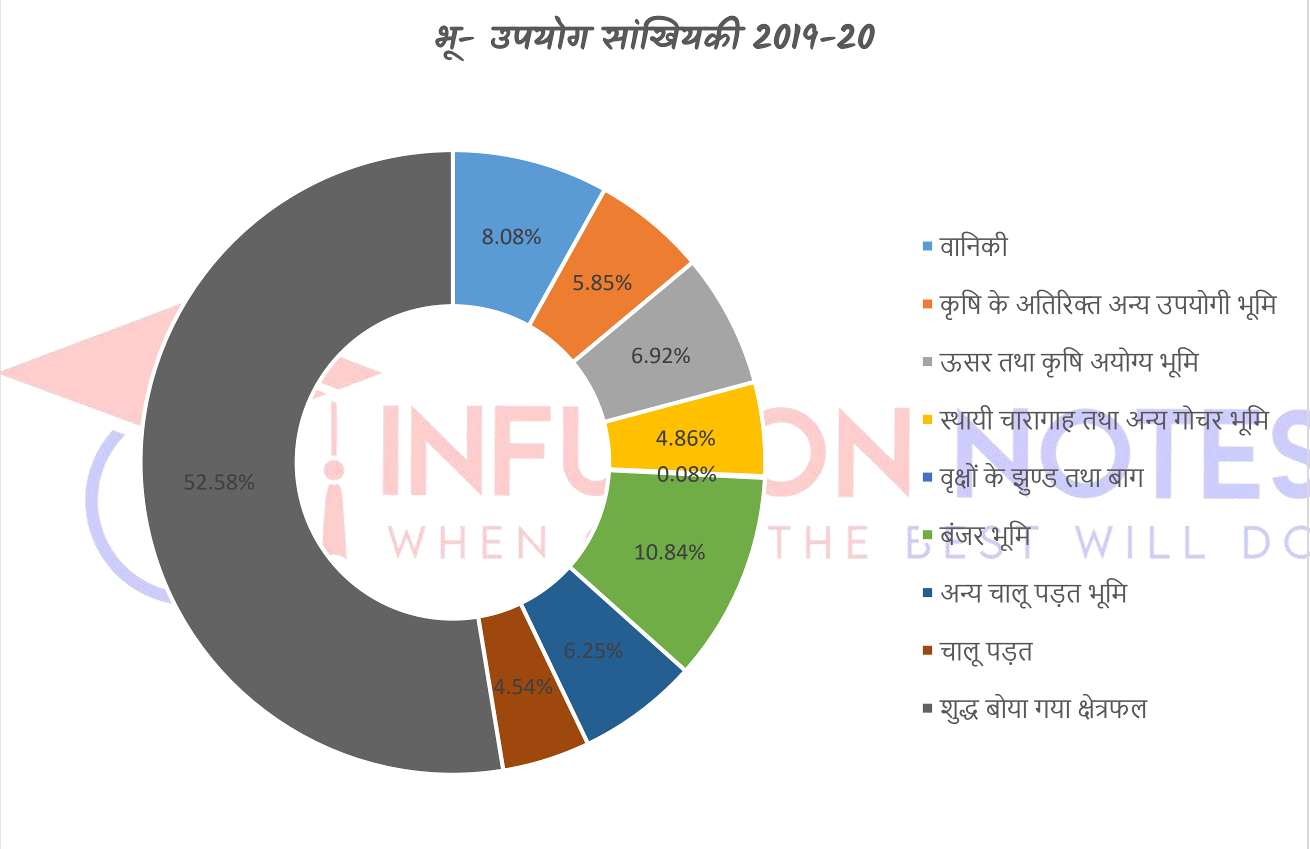


## कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम:

- **मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना :** इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ाना है। प्रारम्भ में इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के तीन कृषि जलवायुविक खण्डों यथा - कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में किया गया। वर्ष 2018-19 से योजना राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायुविक खण्डों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत गेहूं, जौं, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ मूंगफली एवं उड़द की 10 वर्ष तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन को शामिल किया गया है।
- **गैर-स्थानिक क्षेत्रों में कीट और रोगों का उन्मूलन :** उत्पादन के लिए इकॉनोमिक थ्रेसहोल्ड लेवल (ई.टी.एल) से) नीचे के जीवों को रखने के लिए फसलों को कीड़ों, कीटों और बीमारी के संक्रमण से बचाना अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए स्थानिक / गैर-स्थानिक क्षेत्रों में टिड्डी एवं अन्य कीटों / रोगों के उन्मूलन के लिए पौध संरक्षण रसायन के अनुदान का प्रावधान रखा गया है। ।

- **महिला प्रशिक्षणः** इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला कृषकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है तथा महिला कृषकों को उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी दी जाती है, ताकि वे कृषकों को तकनीकी ज्ञान हस्तांतरित कर सके। 30 महिला कृषकों के प्रशिक्षण हेतु सहायता राशि ₹3,000 देने का प्रावधान है।

- **कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशिः** लड़कियों को औपचारिक रूप से कृषि का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग, उच्च माध्यमिक, स्नातक (कृषि), स्नातकोत्तर और पीएचडी करने में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

- **बीज मिनिकिट :** विभिन्न नवीन फसलों की किस्मों को बढ़ावा देने हेतु 0.1 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए बीज मिनिकिट कृषकों को टोकन राशि पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

- **सूक्ष्म पोषक तत्व मिनिकिटः** मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु 90 प्रतिशत अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- इनके अलावा नवाचार के अन्तर्गत मृदा परीक्षण केन्द्रों एवं जैविक खेती करने वाले किसानों को पुरस्कार दिये जाने का कार्यक्रम भी है।

- **जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग :** वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा की अनुपालना में **जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर एक पायलट प्रोजेक्ट** टोंक, बांसवाड़ा एवं सिरोही में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में यह कार्यक्रम राज्य के 15 जिलों में आन्ध्रप्रदेश पैटर्न पर लागू करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुमोदन प्रस्तुत किये गये हैं। इससे कृषक, कृषि आदानों में आत्मनिर्भर बन सकेंगे, कृषि उत्पादन लागत में कमी होगी एवं कृषि उत्पाद रसायन मुक्त होगें।

- **राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना (आर.ए.सी.पी.)**

कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, कृषकों की आय में वृद्धि, जलवायु प्रतिरोध क्षमतायुक्त कृषि, कृषि में सिंचाई जल के उपयोग को कम करने, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व बैंक पोषित यह परियोजना राज्य के 17 जिलों में 17 चयनित क्लस्टरों में क्रियान्वित की जा रही है।

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)**·

- केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में वर्ष 2007-08 से राज्य में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारम्भ किया गया था। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण अनुपात 60:40 है।
- गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ. एस.एम.) के अन्तर्गत प्रमाणित बीजों का वितरण, उन्नत उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन, जैविक खाद, सूक्ष्म तत्वों, जिप्सम, समन्वित कीट प्रबन्धन (आई.पी.एम.), कृषि यंत्रो, फव्वारा, पम्प सैट, सिंचाई जल हेतु पाइप लाईन एवं फसल तंत्र आधारित प्रशिक्षण द्वारा किसानों को सहयोग देना आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं।
- राज्य में गेहूं के लिए 14 जिलों यथा- बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, झुन्झुनूं, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक एवं उदयपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को लागू किया गया है।
- राज्य में मोटा अनाज मक्का के लिए 5 जिलों यथा बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, तथा उदयपुर में एन.एफ.एस.एम. क्रियान्वित किया जा रहा है। मोटा अनाज जौ के लिए 7 जिलों यथा- अजमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर, नागौर, श्रीगंगानगर तथा सीकर में एन. एफ. एस. एम. क्रियान्वित किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्रिसीरियल योजना एक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में राज्य में वर्ष 2018-19 में प्रारम्भ किया गया है।
- इस योजना में प्रमाणित बीज का वितरण एवं उत्पादन, उत्पादन तकनीक में सुधार का प्रदर्शन, जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग, समन्वित कीट प्रबन्धन और फसल प्रदर्शन पर किसानों प्रशिक्षण देना है।
- इस योजना में चयनित जिलों में भारत सरकार द्वारा ज्वार फसलें 10 जिलों यथा- अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाडा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर,

## राजस्थान में औद्योगिक नीतियाँ :-

- राजस्थान में अब तक कुल **6 औद्योगिक नीतियाँ** लागू की जा चुकी है।

### 1. राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति-

- राजस्थान में **पहली औद्योगिक** नीति **24 जून 1978** को लागू की गई थी।
- **प्रथम** औद्योगिक नीति राजस्थान के **मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत** के **कार्यकाल** में लागू की गई थी।

### 2. राजस्थान की दूसरी औद्योगिक नीति-

- राजस्थान में **दूसरी औद्योगिक** नीति **अप्रैल 1991** को लागू की गई थी।
- **दूसरी औद्योगिक नीति** राजस्थान के **मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत** के कार्यकाल में लागू की गई थी।

### 3. राजस्थान की तीसरी औद्योगिक नीति-

- राजस्थान में **तीसरी औद्योगिक नीति 15 जून 1994** को लागू की गई थी।
- **तीसरी औद्योगिक** नीति **राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत** के कार्यकाल में लागू की गई थी।

### 4. राजस्थान की चौथी औद्योगिक नीति-

- **राजस्थान में चौथी औद्योगिक** नीति **4 जून 1998** को लागू की गई थी।
- चौथी औद्योगिक नीति राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत के कार्यकाल में लागू की गई थी।

### 5. राजस्थान की पांचवीं औद्योगिक नीति-

- राजस्थान में **5वीं औद्योगिक नीति जून 2010** को लागू की गई थी।
- **5वीं औद्योगिक** नीति राजस्थान के **मुख्यमंत्री अशोक गहलोत** के कार्यकाल में लागू की गई थी।

### 6. राजस्थान की छठी औद्योगिक नीति-

- राजस्थान में **छठी औद्योगिक नीति 8 अगस्त 2015** को लागू की गई थी।
- **छठी औद्योगिक नीति** राजस्थान की **मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे** के कार्यकाल में लागू की गई थी।

## राजस्थान में स्थित उद्योग से संबंधित प्रमुख संस्थाएं-

### 1. रीको / RIICO-

- पूरा नाम- Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम)
- मुख्यालय- जयपुर (राजस्थान)
- स्थापना- 28 मार्च 1969
- कार्य-
- राजस्थान के मध्यम एवं वृहत उद्योगों को विकसित करने के लिए उन्हें ऋण एवं जमीन उपलब्ध करवाना।

### 2. आरएफसी / RFC -

- पूरा नाम- Rajasthan Finance Corporation (राजस्थान वित्त निगम)
- मुख्यालय- जयपुर (राजस्थान)
- स्थापना- 17 मार्च 1955
- कार्य- राजस्थान के लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वित्तिय सहायता (ऋण देना) प्रदान करना।

### योजनाएँ-

- सेमफेक्स योजना- यह योजना भूतपूर्व सैनिक के लिए है।
- शिल्पबाड़ी योजना- यह योजना छोटे शिल्पकारों के लिए है।
- टेक्नोक्रेट योजना- यह योजना तकनीकी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों या बेरोजगारों के लिए है।

### 3. राजसिको / RAJSICO-

- पूरा नाम- Rajasthan Small State Industrial Corporation (राजस्थान लघु राज्य औद्योगिक निगम)
- मुख्यालय- जयपुर (राजस्थान)
- स्थापना- 3 जून 1961
- कार्य-
- राजस्थान के लघु हस्त शिल्प उद्योगों को सहायता और प्रोत्साहन करना।

- राजस्थली - **राजसिको ने** पूरे **भारत में** अपने **हस्त शिल्प शोरूम राजस्थली** के **नाम** से लगा रखे हैं।

**4. रूडा / RUDA-**

- पूरा नाम- Rural Non Urban Form Developement Agency (ग्रामीण गैर शहरी फॉर्म विकास एजेंसी)
- मुख्यालय- जयपुर (राजस्थान)
- स्थापना- 1995
- कार्य - गैर कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना।

## • सेवा क्षेत्र

**2021-22 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र**

**सेवा क्षेत्र**

- ➢ प्रचलित मूल्यों पर योगदान : 45.10%
- ➢ स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वृद्धि : 11.89%

**व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से सम्बन्धित सेवाएं**

- ➢ प्रचलित मूल्यों पर योगदान : 17.56%
- ➢ स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वृद्धि : 14.45%

**वित्तीय, स्थावर सम्पदा,पेशेवर सेवाएं**

- ➢ प्रचलित मूल्यों पर योगदान : 14.27%
- ➢ स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वृद्धि : 9.43%

**लोक प्रशासन,रक्षा एवम् अन्य सेवाएं**

- ➢ प्रचलित मूल्यों पर योगदान : 13.27%
- ➢ स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वृद्धि : 11.38%

**एक दृष्टि में**

**राजस्थान जन आधार प्राधिकरण**

- ➢ भारत सरकार (यू आईडीएआई) द्वारा जनआधार कार्ड को परिवार एवम् उसके सदस्यों के पते /सम्बन्ध/ पहचान के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान की गई !

**साख- जमा अनुपात (सितम्बर,2021)**

- ➢ भारत : 70.01%
- ➢ राजस्थान : 75.53%

ई-मित्र @ होम सर्विस का जयपुर एवं जोधपुर के शहरी क्षेत्रों में शुभारम्भ किया गया ।

राज्य में एस्ट्रो नाईट स्काई टूरिज्म प्रारम्भ किया गया है ।

राज्य में एस्ट्रो नाईट स्काई टूरिज्म प्रारम्भ किया गया है ।

सेवा क्षेत्र का स्थिर (2011-12 ) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2017-18 में ₹2.49 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2021 - 22 में ₹3.02 लाख करोड़ अनुमानित है, जो इस अवधि में प्रतिवर्ष 4.93 प्रतिशत (सी.ए. जी.आर.) की औसत वृद्धि दर्शाता है जबकि प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2017-18 में ₹3. 52 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 में ₹5.03 लाख करोड़ अनुमानित है, जो इस अवधि में प्रतिवर्ष 9.38 प्रतिशत (सी. ए. जी.आर.) की औसत वृद्धि दर्शाता है। प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन एवं वृद्धि-दर के साथ में चित्र में दर्शाया गया है।

### सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर उप-क्षेत्रवार वितरण 2021-22 (अ)

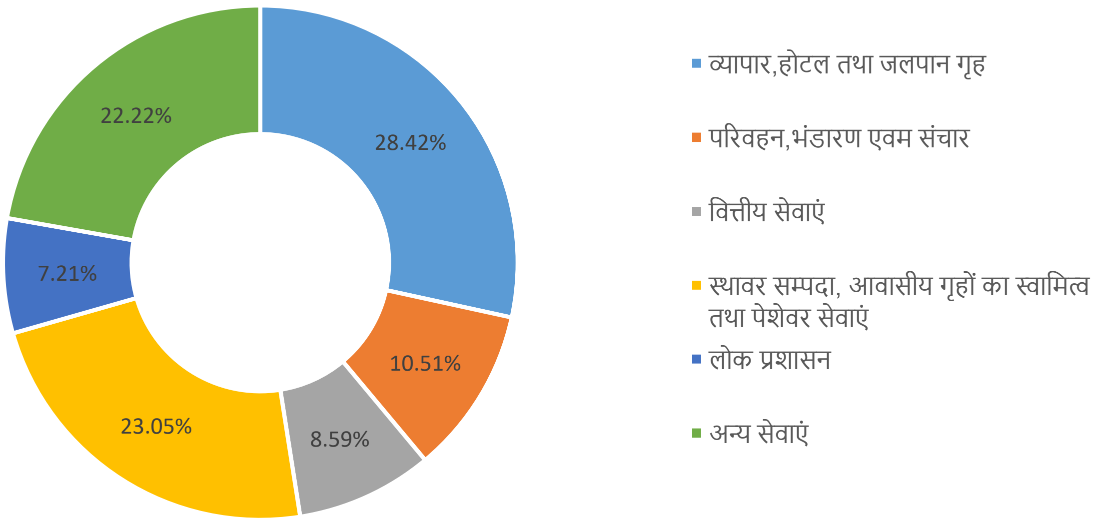


राजस्थान राज्य के सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल और जलपान गृह का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2021-22 में व्यापार, होटल और जलपान गृह का सेवा क्षेत्र के जी. एस. वी. ए. में 28.42 प्रतिशत, इसके बाद स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाओं का 23.05 प्रतिशत योगदान रहा है। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत जी.एस.वी.ए. में अन्य सेवाओं का योगदान 22.22 प्रतिशत, परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र का योगदान 10.51 प्रतिशत रहा, जबकि वित्तीय सेवाओं का 8.59 प्रतिशत और लोक प्रशासन सेवाओं का योगदान 721 प्रतिशत रहा।

तुलना में वर्ष 2020-21 में 5.84 प्रतिशत की तेज गिरावट के साथ अस्थिर रही है, जो कि कोविड-19 महामारी से उपजे आर्थिक आपदा के कारण थी। अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में वृद्धि दर 11.89 प्रतिशत हो गयी है। व्यापार, होटल और जलपान गृह, परिवहन, भंडारण और संचार, वित्तीय सेवाओं, स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन सेवाओं, अन्य सेवाओं के बढ़ने का अनुमान क्रमशः 17.53 प्रतिशत, 742 प्रतिशत, 4.00 प्रतिशत, 11.93 प्रतिशत. 8.54 प्रतिशत और 12.41 प्रतिशत है।

**पर्यटन**

वर्ष 2021 के दौरान 220.24 लाख (219.89 लाख स्वदेशी एवं 0.35 लाख विदेशी) पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया। राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 की अनुपालना में 16 अप्रेल, 2021 से गेस्ट हाऊस स्कीम, 2021 लागू की गई। राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 की अनुपालन में 21 अक्टूबर, 2021 को राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाऊस) योजना, 2021 लागू की गई। पर्यटक सूचना ब्यूरो, सीकर को पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर में क्रमोन्नत किया गया।

पर्यटन विभाग द्वारा अहमदाबाद में नया पर्यटक सूचना ब्यूरो खोला गया।
राजस्थान आने वाले पर्यटकों की यात्रा को सहज और यादगार बनाने के लिए विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितम्बर, 2021 को 'राजस्थान टूरिज्म मोबाइल एप' का लोकार्पण किया गया। 27 सितम्बर, 2021 को 'मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग सबल योजना' का उद्घाटन किया गया। फरवरी-मार्च 2021 में विभाग द्वारा निम्न 5 मेलों का आयोजन किया गया-

1. मरु महोत्सव, जैसलमेर
2. ब्रज होली उत्सव, भरतपुर
3. चित्तौड़गढ़ दुर्ग महोत्सव
4. शेखावटी उत्सव, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
5. नागौर मेला ।

# अध्याय – 5

## प्रमुख विकास परियोजनायें

### बंजर भूमि विकास कार्यक्रमः-

- समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम की शुरूआत 1989-90 में केन्द्र सरकार द्वारा की गई थी।
- यह कार्यक्रम 1 अप्रैल, 1995 से जलग्रहण विकास पद्धति के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- राजस्थान में बंजर भूमि विकास विभाग, की स्थापना **जुलाई, 1982 ई.** में की गई थी।
- समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम राजस्थान के दस जिलों जयपुर, सीकर, जोधपुर, टोंक, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, जैसलमेर व पाली में 1992-93 ई. से संचालित है।
- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यावरण संतुलन व परिवेश संतुलन बनाए रखना है तथा वनों की कटाई पर रोक लगाना है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत मरू क्षेत्र के पूर्व में विस्तार पर रोक लगाना तथा अरावली व अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में बसी जनजातियों के विकास का मार्ग प्रशस्त करना है।
- राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार जैसलमेर जिले में तथा प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्र राजसमंद जिले में विस्तृत है।

### मरू विकास कार्यक्रम

- मरू विकास कार्यक्रम का शुभारंभ 1977-78 ई. में किया गया था। यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा 1985 ई. से पूर्णतः वित्तीय रूप से संचालित है।
- भारत सरकार के द्वारा मरुस्थल के प्रसारण को रोकने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम संचालित किए गए।
- 1 अप्रैल, 1999 ई. से केन्द्र तथा राज्य सरकार का अंश 75:25 प्रतिशत का हो गया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि तथा वानिकी का विकास, लघु सिंचाई सुविधाएं, भूमिगत जल का विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि है।
- यह कार्यक्रम राज्य के 16 ज़िलों के 85 विकास खण्डों में संचालित है जो हैं - जैसलमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, चूरू, जालोर, झुंझुनूं, अजमेर, सिरोही, जयपुर, सीकर, राजसमंद एवं उदयपुर

### सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (BADP):-

**प्रारंभ** :- सन् 1986-1987

**सम्मलित क्षेत्र** :- अंतराष्टीय सीमा पर राज्य के बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जिलो के 13 विकास खंडो को सम्मलित किया गया

**कार्यक्रम का उद्देश्य** :- संसाधनो को विकसित करना व सुरक्षा व्यवस्था को कारगार बनाने के उद्देश्य से 7वीं पंचवर्षीय योजना मे प्रारंभन करना

इस योजना का वितपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है

यह कार्यक्रम केंद्र सरकार वर्ष 1993-94 से पुनः मोडीफाइड सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से प्रारंभ किया गया ।

### मरू प्रसार रोक योजना(CDP) :-

**सम्मलित क्षेत्र** :- राज्य के 10 मरुस्थलीय जिले बाडमेर, बीकानेर, चुरु, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, झुझँनु, नागौर , पाली एंव सीकर

**वित पोषण** :- मरू विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पोषण किया जाता है

### सुखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAD):-

**सम्मलित क्षेत्र** :- राज्य के 11 जिलो यथा बासँवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, झालावाड, कोटा, बाराँ, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, एंव भरतपुर के 32 विकास खंडो मे लागू

**वित पोषण** :- केंद्र सरकार के द्वारा 75 प्रतिशत व राज्य सरकार के द्वारा 25 प्रतिशत

### जलग्रहण विकास कार्यक्रम

1995 में शुरू। राष्ट्रीय बंजर भूमि अद्यतनीकरण मिशन (N.W.U. M.) की शुरूआत वर्ष 2003 में की गई।

**मरुगोचर योजना**

राजस्थान के **मरुस्थलीय जिलों** में पारम्परिक जल स्रोतों की बहाली तथा प्रभावी सूखा रक्षण के अन्य उपाय करने हेतु 2003-04 से राज्य के 10 जिलों में प्रारम्भ योजना।

राष्ट्रीय परती **भूमि विकास बोर्ड** ने परती भूमि को 13 वर्गों में विभाजित किया है।

- **राज्य में सर्वाधिक परती भूमि :-** चूरू जिला।
- **राज्य में न्यूनतम परती भूमि वाला जिला :-** भरतपुर।
- **लवणीय भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र :-** पाली में।
- **राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना :-** 1960 में।
- राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग का है।
- **राजस्थान में बंजर भूमि :-** 38.95 लाख हैक्टेयर (11.37%)

**मरु विकास एवं बंजर भूमि कार्यक्रम**

भौतिक दृष्टि से राजस्थान को **अरावली पर्वत श्रृंखला** ने दो भागों में विभक्त कर दिया है।

राजस्थान के **उत्तरी पश्चिमी भाग** में स्थित 13 जिलों में से **12 जिले मरुस्थलीय** हैं जिनका विस्तार **उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व** की ओर लगभग **640 किमी.** तथा पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 300 किमी. भू-भाग पर है। इसका क्षेत्रफल लगभग **1,75,000 वर्ग किमी.** है जिसमें राज्य की लगभग **40% जनता** निवास करती है।

राज्य के **गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर तथा जालोर** इस मरु क्षेत्र में आते हैं। राजस्थान का **मरु प्रदेश** वर्षा की अल्प मात्रा के कारण प्राय: सूखा एवं अकाल से पीड़ित रहता है। धूल भरी आँधियों के फलस्वरूप स्थान-स्थान पर रेत के ऊँचे टीले अर्थात धोरे दिखाई देते हैं, जो अपने स्थान तेज हवाओं व आँधियों के कारण बदलते रहते हैं।

1962 के **भू-सर्वेक्षण के अनुसार वैज्ञानिकों** का मानना है कि यह मरु क्षेत्र **गंगा-सिंधु** के उपजाऊ मैदान का ही एक भाग है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही मरु प्रदेश को विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं:-

**इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना**

**31 मार्च, 1958 को परियोजना का** शिलान्यास। मरु क्षेत्र विकास की दृष्टि से यह योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

**मरु विकास कार्यक्रम**

1977-78 ई. में केन्द्र सरकार की 100% सहायता से प्रारम्भ किया गया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य **मरुस्थल** के विस्तार को रोकना तथा मरु क्षेत्र का आर्थिक विकास करना है।

इस कार्यक्रम हेतु **1 अप्रैल, 1999** से कोष आवंटन का तरीका बदलकर 75% केन्द्र सरकार व 25% राज्य सरकार द्वारा देय कर दी गई है। वर्तमान में यह कार्यक्रम 16 मरुस्थलीय जिलों के 85 विकास खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि एवं जल संरक्षण **भू-जल** अन्वेषण एवं दोहन, चरागाह विकास, वन विकास, सिंचाई, डेयरी विकास, पशु स्वास्थ्य, सिल्वी पास्टोरल रोपण स्थली, टीलों का स्थिरीकरण आदि क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया गया।

**मरुकरण संघाती परियोजना**

1999-2000 से क्रियान्वित। **10 मरुस्थली जिलों** में संचालित।

**मरुस्थल वृक्षारोपण शोध केन्द्र**

1952 में **जोधपुर** में।

**केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ( काजरी )**

**1959 में जोधपुर** में स्थापना। काजरी मरुस्थल के प्रसार को रोकने तथा वहाँ कृषि की उपज में वृद्धि से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए शोध कार्य सम्पन्न करता है।

**महिला कल्याण हेतु विभिन्न योजना क्रियान्वयन में हैं।**

**1.महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना**

नोट – प्रिय उम्मीदवारों, यहाँ हमने केवल SAMPLE ही दिया है, पूरा टॉपिक नही दिया है / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए नीचे दिए गये हमारे संपर्क नंबर पर कॉल कीजिए या लिंक पर क्लिक करें / दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी "RPSC RAS (PRE.)" की परीक्षा_ में पूर्ण संभव मदद करेंगे और आप "INFUSION NOTES" के साथ इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे, धन्यवाद /

RAS Pre. 2021 की परीक्षा में हमारे नोट्स में से 74 प्रश्न आये थे , जबकि cutoff मात्र 64 प्रश्न पर गयी थी /

संपर्क करें – 8233195718, 8504091672, 9694804063, 7014366728,

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम -

| EXAM (परीक्षा) | DATE | हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्न |
|---|---|---|
| RAS PRE. 2021 | 27 अक्तूबर | 74 प्रश्न आये |
| REET (लेवल -1, 2) | 2021 | 98 (150 में से) |
| SSC GD 2021 | 16 नवम्बर | 68 (100 में से) |
| SSC GD 2021 | 30 नवम्बर | 66 (100 में से) |
| SSC GD 2021 | 01 दिसम्बर | 65 (100 में से) |
| SSC GD 2021 | 08 दिसम्बर | 67 (100 में से) |
| राजस्थान S.I. 2021 | 13 सितम्बर | 113 (200 में से) |

| | | |
|---|---|---|
| राजस्थान S.I. 2021 | 14 सितम्बर | 119 (200 में से) |
| राजस्थान S.I. 2021 | 15 सितम्बर | 126 (200 में से) |
| RAJASTHAN PATWARI 2021 | 23 अक्तूबर (Ist शिफ्ट) | 79 (150 में से) |
| RAJASTHAN PATWARI 2021 | 23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट) | 103 (150 में से) |
| RAJASTHAN PATWARI 2021 | 24 अक्तूबर (Ist शिफ्ट) | 95 (150 में से) |
| RAJASTHAN PATWARI 2021 | 24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट) | 91 (150 में से) |
| RAJASTHAN VDO 2021 | 27 दिसंबर (1st शिफ्ट) | 59 (100 में से) |
| RAJASTHAN VDO 2021 | 27 दिसंबर (2nd शिफ्ट) | 61 (100 में से) |
| RAJASTHAN VDO 2021 | 28 दिसंबर (1st शिफ्ट) | 56 (100 में से) |
| RAJASTHAN VDO 2021 | 28 दिसंबर (2nd शिफ्ट) | 57 (100 में से) |
| U.P. SI 2021 | 14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट | 91 (160 में से) |
| U.P. SI 2021 | 21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट) | 89 (160 में से) |

## & Many More Exams like REET, UPSC, SSC Etc.

**दोस्तों, इनका proof देखने के लिए नीचे दी गयी लिंक पर क्लिक करें या हमारे youtube चैनल पर देखें –**

**RAS PRE. 2021 -** https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=136s

**VDO PRE. -** https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

**Patwari -** https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=103s

अन्य परीक्षाओं में भी इसी तरह प्रश्न आये हैं Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (Infusion Notes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।

संपर्क करें- 7014366728, 8233195718, 9694804063, 8504091672

| | |
|---|---|
| ONLINE ORDER के लिए OFFICIAL WEBSITE | Website- https://bit.ly/ras-pre-notes |
| PHONE NUMBER | +918504091672<br>9887809083<br>+918233195718<br>9694804063 |
| TELEGRAM | https://t.me/infusion_notes |
| FACEBOOK PAGE | https://www.facebook.com/infusion.notes |
| WHATSAPP करें → | https://wa.link/6r99q8 |